प्रथम विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण पुस्तिका

दिनांक 20 नवम्बर, 2001 से 14 दिसम्बर, 2001

चतुर्थ सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

मंगलवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2001

(कार्तिक 29, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. राष्ट्रगान

सदन में राष्ट्रगान "वन्देमातरम" सम्पन्न हुआ.

2. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि–कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 19 नवम्बर, 2001 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए चर्चा हेतु उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

(1) वित्तीय कार्य

	निर्धारित समय
वर्ष 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन विचार एवं पारण.	03.00 घंटे

(2) शासकीय विधि विषयक/अन्य कार्य

1.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001.	01.00 घंटा
2.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001.	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध विधयेक, 2001.	01.00 घंटा
4.	प्रदेश में विद्युत सरप्लस होने से उसके उपयोग व उपभोग बढ़ाने हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य की नियम-139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	01 घंटा 30 मिनट
5.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था बंद होने से मिट्टी तेल, शक्कर एवं अन्य खाद्यान्न का वितरण न होने के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त होने के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य की नियम-139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	01 घंटा 30 मिनट
6.	प्रदेश में फसल चक्र में परिवर्तन के संबंध में श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की नियम-139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	01 घंटा 30 मिनट
7.	अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा.	02 घंटे

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र की बैठकों का समय दिनांक 21 नवम्बर, 2001 से अपराह्न 02.30 बजे से रात्रि 07.30 बजे तक रखा जाए.

सभा के समय में परिवर्तन के फलस्वरूप नवम्बर-दिसम्बर, 2001 सत्र में विभिन्न सूचनाओं को प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार समय में परिवर्तन करने की भी सिफारिश की गई है :—

(1) स्थगन/ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्रातः 11.00 बजे से प्राप्त की जाएंगी. किसी दिन अपराह्न 12.30 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनायें आगामी दिवस के लिए समझी जायेंगी.

(2) नियम-236 में अन्यथा उपबन्धित को छोड़कर शेष सूचनाओं का समय प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे है, इसे यथावत रखा जाए.

(3) विशेषाधिकार भंग के जो प्रस्ताव किसी दिन अपराह्न 02.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होंगे उसे आगामी दिवस को प्रस्तुत माने जाएंगे.

(4) अशासकीय कार्य का समय अंतिम ढाई घंटे सायं 05.00 बजे से 07.30 बजे होगा.

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सदन की बैठक के चलते जो माननीय सदस्य गर्भगृह में आकर व्यवधान उपस्थित करेंगे उनकी सदस्यता स्वयंमेव तब तक के लिए निलंबित मानी जाएगी, जैसा कि माननीय अध्यक्ष तय करें.

समिति ने विधान सभा नियमावली में तदाशय का परिवर्तन करने का भी निर्णय लिया.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि–शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

3. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री व लोक सभा सदस्य श्री माधव राव सिंधिया, भूतपूर्व संसद सदस्य व पूर्व सदस्य मध्यप्रदेश विधान सभा श्री नरसिंहराव दीक्षित के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में पूर्वाह्न 11.23 बजे विधान सभा बुधवार 21 नवम्बर, 2001 (कार्तिक 30, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2001

(कार्तिक 30, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.31 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री विद्याभूषण ठाकुर, पूर्व सदस्य म. प्र. विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए गए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री लीलाराम भोजवानी, ऊर्जा मंत्री श्री धनेश पटिला ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगत के सम्मान में 2.44 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 2.50 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से 04 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 12 सन् 2001) पटल पर रखा.

4. जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष ने जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

5. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अधक्ष ने नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के विगत जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र में पारित विधेयकों में से नौ विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है. अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग-दो के माध्यम से सदस्यों को पृथक से वितरित किया जावेगा.

माननीय अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव को लेने की घोषणा करने पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य सर्वश्री महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, बृजमोहन अग्रवाल ने आदिवासी विकास परिषद् की आयोजित बैठक में मार-पीट किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर सर्वप्रथम सदन में चर्चा कराए

जाने की मांग की.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने कहा कि यदि सत्तापक्ष आदिवासी विकास परिषद् की आयोजित बैठक में मार-पीट संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर सर्वप्रथम चर्चा कराना चाहता है तो सत्तापक्ष उसके लिए तैयार है.

7. स्थगन प्रस्ताव

दिनांक 3-11-2001 को आदिवासी विकास परिषद की आयोजित बैठक में मार-पीट किये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री शिवरतन शर्मा, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, श्री गंगूराम बघेल, श्री महेश तिवारी, श्री नंदकुमार साय, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री लीलाराम भोजवानी, श्री ननकीराम कंवर, श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, श्रीमती श्यामा ध्रुवा, श्री छतराम देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री अमर अग्रवाल, श्री जगजीत सिंह मक्कड़, श्री चरण सिंह मांझी, श्री गौरीशंकर अग्रवाल, श्री धरम कौशिक, श्री रामविचार नेताम, श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ीं.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया. मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने स्थगन प्रस्ताव चर्चा हेतु ग्राह्य करने पर सहमति प्रदान की.

माननीय अध्यक्ष ने इस पर सायं 5.30 बजे से चर्चा कराए जाने की घोषणा की.

8. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण प्रसाद चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने जशपुर जिले की ग्राम पंचायत सन्ना कंदरईपाट में विषाक्त मांस खाने से कोरबा जनजाति के 11 व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल अग्रवाल) पीठासीन हुए.]

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4.35 बजे सदन की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई. 5.01 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल अग्रवाल) पीठासीन हुए.]

(2) सर्वश्री नारायण प्रसाद चंदेल, शिवरतन शर्मा, महेश तिवारी, सदस्य ने प्रदेश में नक्सलवादी घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय उपाध्यक्ष की घोषणानुसार :—

(1) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की प्रदेश में सड़कों की स्थिति जर्जर होने,

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की जिला सहकारी बैंकों के संचालक मंडल को भंग किये जाने,

(3) श्री महेश तिवारी, सदस्य की राजनांदगांव जिले के श्रमिकों द्वारा काम के अभाव में पलायन के दौरान ट्रक दुर्घटना में मृत्यु होने,

(4) डॉ. शक्राजीत नायक एवं श्री हेमचंद यादव, सदस्य की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की नियुक्ति में भ्रष्टाचार होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

10. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :—

1. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
4. प्रो. गोपालराम
5. श्री महेश तिवारी
6. श्री रामविचार नेताम

11. स्थगन प्रस्ताव (5.34 बजे चर्चा प्रारंभ)

दिनांक 3-11-2001 को आदिवासी विकास परिषद् की आयोजित बैठक में मार-पीट किये जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल

12. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा विषय से हटकर कथन कहने पर संसदीय कार्यमंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने संविधान की धारा 211, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 134 तथा संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार पुस्तक के पृष्ठ 475 खण्ड-7 का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर सीमित रखकर ही अपनी बात कहनी चाहिए और जो मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है उस पर माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत आसंदी से नहीं दी जानी चाहिए.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय-9 के नियम 55 के परन्तुक की ओर आसंदी का ध्यान आकृष्ट कराया.

"परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग की जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है."

उन्होंने आगे कहा कि अध्याय 14 के नियम 134 के परन्तुक "परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे सांविधिक न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है." श्री तिवारी ने नियम उद्धृत करते हुए कहा कि जिन कारणों से कोर्ट से स्थगन है उनको छोड़कर बाकी विषय-वस्तु पर सदन में चर्चा होनी चाहिए.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इस मामले पर जांच या अनुसंधान नहीं चल रहा है इसलिए वे आयोग या आयोग की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कर सकते हैं.

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने कहा कि विपक्ष के जिस स्थगन प्रस्ताव को माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया है उसमें मूल रूप से मेकाहारा की घटना को प्रस्तुत किया गया है इसलिए केवल उस विषय-वस्तु पर ही चर्चा होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने कहा कि जिस विषय पर सदन में चर्चा हो सकती है उसके किसी भी बिन्दु पर चर्चा को सत्तापक्ष रोकना नहीं चाहता है. माननीय सदस्यों ने बहुत से नियमों का उल्लेख किया है. अब आसंदी को निर्णय लेना है कि इस पर चर्चा हो सकती है कि नहीं.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि—आसंदी को 21 माननीय सदस्यों ने इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसे पढ़कर सुनाया गया. इसकी विषय-वस्तु सदन के पटल पर है और सब सदस्यों को मालूम है और उस स्थगन प्रस्ताव को ही

आसंदी से चर्चा हेतु ग्राह्य किया गया है. स्वाभाविक है कि इसकी विषय-वस्तु इस प्रकार से थी कि यह किसी न्यायालयीन प्रक्रिया को भी स्पर्श कर सकता है. आसंदी ने जब इसको स्वीकार किया तो अवश्य रूप से इस प्रकार की छाया मस्तिष्क में थी और इसको चर्चा में लिया जाए अथवा नहीं लिया जाए, और जो माननीय सदस्यों ने और जिन प्रावधानों का उल्लेख किया है कि अध्याय 9 इसके 55 (क)-

"साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हों."

"परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हों, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे संविहित न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है."

इसी प्रकार अध्याय 14 के नियम 134-

"साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी सांविधिक न्यायाधिकरण या सांविधिक प्राधिकारी या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो."

"परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सभा में उठाने की अनुमति दे सकेगा जो जांच की प्रक्रिया या विषय प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाए कि इससे सांविधिक न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकारी या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है."

इन बातों को ही ध्यान में रखने के बाद ही स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है और स्थगन प्रस्ताव की विषय-वस्तु वही है जो आपकी सूचना में अंतर्निहित है. मैंने माननीय संसदीय कार्यमंत्री के भी विचार सुनें, उन्होंने कोल एण्ड शकधर को संदर्भित किया है. यह संभव नहीं है जो विषय-वस्तु है उससे सदस्य बाहर जायें. मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सूचना में मेकाहारा की घटना का दिया गया कंटेंट है, अपना भाषण वहीं तक सीमित रखें.

13. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री महेश तिवारी
4. श्री डोमेंद्र भेंडिया
5. श्री शिवरतन शर्मा

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर 7.30 बजे के पश्चात् चर्चा जारी रखने के संबंध में सदन की सहमति चाही. सदन की सहमति से माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर सदस्यों से संक्षेप में अपनी बात रखने की अपील की तथा सदन में समय में वृद्धि की घोषणा की.

6. श्री मंतूराम पवार
7. श्री ननकीराम कंवर
8. श्री लखमा
9. श्री रामविचार नेताम

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल अग्रवाल) पीठासीन हुए.]

10. श्री गौरीशंकर अग्रवाल
11. श्री अजय चन्द्राकर
12. श्री गंगूराम बघेल
13. श्री प्रेमसिंह सिदार
14. श्री अमर अग्रवाल
15. डॉ. हरिदास भारद्वाज
16. श्री धरम कौशिक
17. डॉ. शक्राजीत नायक
18. श्री छतराम देवांगन
19. श्री लीलाराम भोजवानी
20. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
21. श्री गुलाब
22. नेता प्रतिपक्ष, श्री नंदकुमार साय

रात्रि 9.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 1, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2001

(अग्रहायण 1, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 23 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में 16 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

वित्त मंत्री, डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 तथा उसके साथ पठित मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 35 (1) की अपेक्षानुसार-

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष का क्रमांक-3 (सिविल) एवं क्रमांक-4 (सिविल) तथा,

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष का क्रमांक-2 (वाणिज्यिक) पटल पर रखा.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए.)

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने कहा कि आदिवासी विकास परिषद् की आयोजित बैठक में मार-पीट करने वाले लोगों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है और जब तक उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.

श्री महेश तिवारी सदस्य ने कहा कि जब तक स्थगन पर मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा तब तक कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आ गए.)

3.36 बजे सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की गई. 4.13 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह से नारे लगाये गये)

3. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि "उन्हें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन द्वारा लिये गये निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित सदस्य, जो गर्भगृह में आए आज की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित माने जायेंगे :—

1. श्री सोहन लाल
2. श्री प्रेमसिंह सिदार
3. श्री विक्रम भगत
4. डॉ. शक्राजीत नायक
5. श्री विक्रम मोहले
6. श्री ननकीराम कंवर

7. श्री चोवादास खाण्डेकर
8. श्री अमर अग्रवाल
9. श्री धरम कौशिक
10. श्री छतराम देवांगन
11. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
12. श्री मेघाराम साहू
13. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी
14. श्री गंगूराम बघेल
15. श्री शिवरतन शर्मा
16. श्री चरणसिंह मांझी
17. श्री अजय चन्द्राकर
18. श्रीमती श्यामा ध्रुवा
19. श्री लोकेन्द्र यादव
20. श्री संजीव शाह
21. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया
22. श्री लीलाराम भोजवानी
23. श्री बृजमोहन अग्रवाल
24. श्री तरुण चटर्जी

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में आकर नारे लगाए गए एवं गर्भगृह में बैठ गए.)

4.17 बजे सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई. 4.52 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री चैनसिंह सामले (सभापति) ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार दिनांक 23 नवम्बर 2001 को चर्चा हेतु आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

	अशासकीय संकल्प		समय
1.	(क्रमांक-1)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	45 मिनिट
2.	(क्रमांक-7)	श्री नारायण प्रसाद चंदेल	1 घण्टा
3.	(क्रमांक-17)	श्री अजय चन्द्राकर	45 मिनिट

श्री चैनसिंह सामले, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

कार्य सूची के पद क्रमांक 3, 4 एवं 5 के प्रस्तुतकर्ता सदस्यों के अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 4.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 2, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2001

(अग्रहायण 2, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.32 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए.

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य के प्रदेश की शालाओं के 10+2 में उन्नयन करने संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 371) को माननीय अध्यक्ष ने स्थगित करते हुए आगामी तिथि तय करने की घोषणा की.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 45 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 04 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

उच्च शिक्षा मंत्री, श्री सत्यनारायण शर्मा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) पटल पर रखा.

(आदिवासी विकास परिषद् की बैठक में मार-पीट की घटना के जिम्मेदार लोगों पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

3. स्थगन प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न होने के संबंध में सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, महेश तिवारी, अजय चन्द्राकर, नंदकुमार साय, डॉ. शक्राजीत नायक, लीलाराम भोजवानी, छतराम देवांगन, डॉ. हरिदास भारद्वाज, गौरीशंकर अग्रवाल, रामविचार नेताम, प्रेमसिंह सिदार, धरम कौशिक एवं ननकीराम कंवर सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ी.

राज्य मंत्री, खाद्य, श्री मोहम्मद अकबर ने इस पर वक्तव्य दिया.

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने स्थगन प्रस्ताव को चर्चा हेतु ग्राह्य करने पर सत्तापक्ष की ओर से सहमति प्रदान की.

माननीय सदस्यों के अनुरोध को देखते हुए माननीय अध्यक्ष ने विशेष परिस्थितियों में स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की.

3.56 बजे स्थगन प्रस्ताव पर प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री शिवरतन शर्मा

[सभापति महोदय (श्री डोमेन्द्र भेंडिया) पीठासीन हुए.]

2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री गणेश शंकर बाजपेयी

सभापति महोदय द्वारा कार्यसूची के पद क्रमांक-6 में उल्लेखित अशासकीय कार्य पूर्ण होने तक सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

5. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
6. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता
7. श्री महेश तिवारी
8. श्री अग्नि चन्द्राकर
9. श्री अजय चन्द्राकर

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

10. श्री हरषद मेहता
11. श्री धरम कौशिक
12. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
13. डॉ. हरिदास भारद्वाज
14. प्रो. गोपाल राम
15. डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव
16. श्री ननकीराम कंवर
17. डॉ. रामलाल भारद्वाज
18. श्री गौरीशंकर अग्रवाल
19. श्री लीलाराम भोजवानी
20. श्री नन्दकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि कार्यसूची में दर्ज माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण तथा अशासकीय संकल्प आगामी कार्य दिवसों में लिये जाएंगे.

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि करने की भी घोषणा की.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

रात्रि 8.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 5, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2001

(अग्रहायण 5, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 03 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, गंगूराम बघेल, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाने में हुई अनियमितता की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय के नेतृत्व में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(2) सर्वश्री गंगूराम बघेल, नारायण प्रसाद चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने प्रदेश के पालीटेक्निक महाविद्यालयों में फीस में भारी वृद्धि होने,

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल का गठन न किये जाने,

(3) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में सड़क डामरीकरण कराये जाने,

(4) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कुरुद विधान सभा क्षेत्र में महानी मुख्य नहर के सुपर पैसेज क्षतिग्रस्त होने,

सम्बन्धी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

माननीय अध्यक्ष द्वारा एकादशी के उपलक्ष्य में सदन की सहमति से सायं 5.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 6, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.)

मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2001

(अग्रहायण 6, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, गंगूराम बघेल, सदस्य ने विवादित पुस्तक "ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो" के प्रकाशन से प्रदेश में शांति भंग होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे ने श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक के अंशों की जानकारी चाहे जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रतिबंधित पुस्तक "ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो" के प्रतिबंध के कारणों पर चर्चा करने की अनुमति माननीय सदस्यों को नहीं दी जानी चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने कहा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सम्पूर्ण किताब और उसके प्रतिबंधित अंशों पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन उन बातों को सदन में बताया जाना जरूरी है जिनके कारण इस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया.

गृहमंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने कहा कि नियम 138 (1) के अधीन प्रस्तुत ध्यानाकर्षण पर माननीय सदस्य आसंदी की अनुमति से केवल एक-दो प्रश्न ही कर सकते हैं लेकिन ध्यानाकर्षण में पूरी चर्चा या वाद-विवाद नहीं होता.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने कहा कि अभी तक उनके द्वारा किताब का कोई उद्धरण/अंश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि वह भी उन्हें पढ़ने का अधिकार है.

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने ध्यानाकर्षण के विषय का उल्लेख करते हुए कहा कि माननीय सदस्य कारण और विषय-वस्तु के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वे नहीं सोचते कि उनका उत्तर देने में माननीय गृहमंत्री जी अपने आपको किसी नियम के तहत रोक सकते हैं.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि-पुस्तक के प्रतिबंधित होने का अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि यह कोई सब-ज्यूडिस है या न्यायालय में विचाराधीन है या न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है. प्रशासन ने उस पर प्रतिबंध लगाया है और प्रशासनिक दृष्टि से प्रतिबंध लगाया है इसलिए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन जब प्रशासन ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया है तो माननीय सदस्यों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से माननीय सदस्यों के प्रश्नों से प्रदेश की स्थिति ऐसी न बने जिसके कारण समस्याएं खड़ी हो जाएं. उन्होंने माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि माननीय सदस्यों के प्रश्न और आरोप ध्यानाकर्षण की जो विषय-वस्तु है उस पर होने चाहिए.

आसंदी ने यह भी कहा कि माननीय सदस्य अपने प्रश्न इस बात को ध्यान में रखकर करें कि पुस्तक के मुद्रण, प्रकाशन में शासन ने क्या चूक की है.

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में ब्रिटेन के उप-उच्चायुक्त डॉ. जॉन मिशनर्स उपस्थित हैं, सदन उनका स्वागत करता है.

(सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया.)

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि ध्यानाकर्षण में एक सदस्य को घंटों वाद-विवाद की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

व्यवधान होने से 4.16 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई. 4.42 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने कहा कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रतिबंधित पुस्तक का प्रदर्शन किया है या किसी सदस्य के पास यह प्रतिबंधित पुस्तक उपस्थित है ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, इस पर आसंदी अपनी व्यवस्था दें ?

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक का प्रदर्शन निश्चित रूप से उचित नहीं है. यदि वह पुस्तक माननीय सदस्यों के पास उपलब्ध है वे इसका परीक्षण करा लेंगे और जो उस पर स्थिति बनेगी, आसंदी उस पर आवश्यकता अनुसार व्यवस्था देगी.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सरकार की लापरवाही के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

4. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री महेश तिवारी, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले में जिन्दल समूह द्वारा कोयले का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री महेश तिवारी, सदस्य ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई मार्ग की सड़क जर्जर होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि होने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने मुख्य अभियंता, हंसदेव कछार, बिलासपुर द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग किये जाने,

(3) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में शासकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त सुविधाओं का विस्तार किये जाने,

(4) श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अस्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था समाप्त किये जाने,

(5) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने धमतरी जिले के विकासखण्डों में धान की फसल में कटवा रोग का प्रकोप फैलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 27 नवम्बर, 2001 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

(1) शासकीय विधि विषयक/अन्य कार्य

		निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001 (क्रमांक 28 सन् 2001).	1 घंटा
2.	भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 29 सन् 2001).	30 मिनट
3.	प्रदेश में सड़कों की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के संबंध में श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की नियम 139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट

संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई है, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत सरप्लस होने से उसके उपयोग व उपभोग बढ़ाने हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने के संबंध में श्री महेश तिवारी, सदस्य ने चर्चा उठायी.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
2. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
3. डॉ. छबिलाल रात्रे
4. श्री गौरीशंकर अग्रवाल
5. डॉ. रामलाल भारद्वाज
6. डॉ. शक्राजीत नायक
7. श्री धर्मजीत सिंह

रात्रि 7.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 7, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2001

(अग्रहायण 7, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.33 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 11 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेश तिवारी, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने राज्योत्सव व्यापार मेला आयोजन के संबंध में रोटरी क्लब के साथ किए गए अनुबंध में अनियमितता किए जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[उपाध्यक्ष (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री द्वारा मजदूरों को निकालने तथा शासन को रायल्टी का भुगतान न किये जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया. संतोषजनक उत्तर न आने के कारण माननीय उपाध्यक्ष ने कार्यसूची के पद क्रमांक 2 के उप पद (2) में उल्लेखित श्री छतराम देवांगन, सदस्य के लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री द्वारा मजदूरों को निकालने तथा शासन को रायल्टी का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण सूचना को आगामी कार्य दिवस के लिए स्थगित करने की घोषणा की.

3. नियम-267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्री गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य ने गोबरा नवापारा थानांतर्गत आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने,

(2) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरायपाली द्वारा अनियमितताएं किए जाने,

(3) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के किसानों को रबी फसल एवं गन्ने की फसल के लिए बीज उपलब्ध नहीं कराये जाने,

(4) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने फसल बीमा योजना के प्रमाण-पत्रों में अनियमितताएं होने,

(5) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण कराये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़-स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने सदन की अनुमति से भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 29 सन् 2001) पुर:स्थापित किया.

5. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में विद्युत सरप्लस होने से उसके उपयोग व उपभोग बढ़ाने हेतु मास्टर प्लान बनाए जाने के सम्बन्ध में पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री धरम कौशिक
2. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
3. श्री छतराम देवांगन
4. श्री राजेन्द्र पामभोई
5. डॉ. हरिदास भारद्वाज
6. श्रीमती फुलोदेवी नेताम
7. श्री लीलाराम भोजवानी
8. श्री योगेश्वरराज सिंह
9. श्री ननकीराम कंवर
10. श्रीमती श्यामा ध्रुवा
11. श्री नन्दकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने भी चर्चा का उत्तर दिया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

6. प्रतिवेदन पर चर्चा

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर माननीय अध्यक्ष के द्वारा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य से चर्चा प्रारंभ करने की घोषणा की गई.

7. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि-इस समिति का जांच प्रतिवेदन पिछले मानसून सत्र के अंतिम दिवस 3 अगस्त, 2001 को सदन के पटल पर रखा गया था और 8 अगस्त, 2001 को विधान सभा सचिवालय द्वारा कार्यवाही एवं पालन प्रतिवेदन शासन और विभाग को भेजा गया जब माननीय अध्यक्ष की अनुमति से इस सदन में इस प्रतिवदन पर चर्चा होना है तब वह किस विशेषाधिकार के तहत विधान सभा सचिवालय द्वारा कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन मांगा गया है. अगर किसी विशेष अधिकार के तहत मांगा गया था तो फिर सदन में इस प्रतिवेदन पर बहस का औचित्य क्या है ?

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि सदन की समिति ने सम्पूर्ण विचार-विमर्श करने के बाद अपना प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा और सदन के पटल पर रखने के पश्चात् वह इस सदन की प्रापर्टी हो जाती है और माना जाता है कि जो समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह सदन की मंशा को व्यक्त करता है और इस आधार पर किसी विशेष अधिकार से नहीं, बल्कि पूर्ण अधिकार से जो इस विधान सभा सचिवालय को अधिकार प्राप्त है उसके तहत वह शासन और विभाग को भेजा गया और शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है उसकी भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इस विधान सभा को है.

उन्होंने आगे कहा कि हमें स्मरण रखना चाहिये कि हम संसदीय प्रजातंत्र को मानते हैं. संसदीय प्रजातंत्र में सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होती है, विधान सभा की होती है और इसके लिए कार्यपालिका जवाबदार होती है. कार्यपालिका से जवाब लेने का अधिकार विधान सभा को प्राप्त है. जो कि पहले भी था, अब भी है, भविष्य में भी रहेगा. रहा चर्चा का सवाल, तो चर्चा का सवाल इसलिए है कि इस सदन की समिति ने फर्नीचर कांड जो कि इतना बड़ा विषय इस विधान सभा में आया, जिस

पर सदन की समिति बनाई गई. सदन की समिति के निर्णय को पक्ष और प्रतिपक्ष अमान्य नहीं करेगी या इसमें मतदान होगा, ऐसा कुछ नहीं है, केवल चर्चा होगी. सदन ही एक ऐसा मंच है जिसके अंतर्गत इस प्रकार की सारी बातों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जा सकता है. इसलिए मैं इस पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं.

8. प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि सभा की कमेटी ने जिन मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट दी है या जिन मंत्रियों को चिह्नित कर दिया और हाईकोर्ट का स्टे भी खत्म हो गया तो क्या उन्हीं मंत्रियों से इस प्रतिवेदन पर चर्चा का जवाब सदस्यों को सुनना पड़ेगा. क्या यह मंत्रियों की वैधानिकता पर कहीं-न-कहीं प्रश्नचिह्न नहीं लगता ?

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि अभी तो जो विधान सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाएगी. सदन की कार्यवाही की समाप्ति का समय 7.30 बजे तक है. इस चर्चा का कल भी पुनर्ग्रहण होगा. मंत्रिगणों का जवाब चर्चा के उपरांत ही आएगा उस वक्त वे स्वयं विचार करेंगे और निर्णय करेंगे कि क्या करना चाहिए.

2. श्री डोमेन्द्र भेंडिया
3. श्री गंगूराम बघेल (भाषण अपूर्ण)

रात्रि 7.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 8, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2001

(अग्रहायण 8, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.32 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 21 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध गठित जांच समितियों से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 859) को माननीय अध्यक्ष ने 14 दिसम्बर, 2001 के प्रश्न दिवस तक के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में 24 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने राज्य सरकार द्वारा बनायी गई समस्त नीतियों को सदन के पटल पर रखने तथा उस पर चर्चा कराने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे को निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी नीतियां शासन द्वारा बनायी गई हैं उस सबको सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उन पर चर्चा कराई जा सके.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि सत्र समाप्ति के पूर्व सभी विभागों की नीतियां सभी माननीय सदस्यों को वितरित करा दी जाएंगी.

2. ध्यान आकर्षण

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने लाफार्ज सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा मजदूरों को निकालने तथा शासन को रायल्टी का भुगतान न किए जाने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा वन परिक्षेत्र के वनों की अवैध कटाई होने के सम्बन्ध में वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अधीन सूचनायें

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया–नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 10 (दस) सूचनायें नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 29 नवम्बर, 2001 को सदन में लिये जाने की वे अनुज्ञा प्रदान करते हैं.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :—

(1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य की जिला धमतरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों का अभाव होने सम्बन्धी सूचना.

(2) श्री अग्नि चन्द्राकर, सदस्य की थाना डभरा जिला जांजगीर के ग्राम बरतुगा में महिला के साथ बलात्कार होने सम्बन्धी सूचना.

(3) श्री मेघाराम साहू, सदस्य की जिला जांजगीर-चांपा की शालाओं में खिलाड़ियों का शोषण करने वाले सहायक शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने सम्बन्धी सूचना.

(4) श्री छतराम देवांगन, सदस्य की जांजगीर-चांपा जिले के वि. ख. बलौदा में प्रतिदिन विद्युत प्रदाय बंद रहने सम्बन्धी सूचना.

(5) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य की बस्तर के भानुप्रतापपुर पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत कापसी परिक्षेत्र में वन माफिया द्वारा वनों की कटाई करने सम्बन्धी सूचना.

(6) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की कोरबा जिले में ट्रकों की ओव्हर लोडिंग करने से सड़कों की हालत जर्जर होने सम्बन्धी सूचना.

(7) श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्य की जल प्रदाय योजना तखतपुर में पेयजल की व्यवस्था निरन्तर नहीं होने सम्बन्धी सूचना.

(8) श्री गणेशराम भगत, सदस्य की गुरु घासीदास वि. वि. बिलासपुर में रोस्टर के विरुद्ध भर्ती जारी रहने सम्बन्धी सूचना.

(9) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य की गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने सम्बन्धी सूचना.

(10) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की छत्तीसगढ़ हास्पिटल नवापारा-राजिम के चिकित्सक की लापरवाही के कारण एक आदिवासी महिला की मौत होने सम्बन्धी सूचना.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री गंगूराम बघेल
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री शिवरतन शर्मा
4. डॉ. रामलाल भारद्वाज
5. श्री अजय चन्द्राकर
6. श्री बृजमोहन अग्रवाल
7. श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने खण्ड-2 में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :—

खण्ड 2 में अंकित शब्द "भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 8 सन् 1932) की धारा 2 में शब्द–"पन्द्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए" के स्थान पर शब्द "पच्चीस वर्ष से अनधिक के लिये" स्थापित किया जाए." तथा भाषण दिया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्णनाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

5. प्रतिवेदन पर चर्चा के पुनर्ग्रहण पर औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर पुनर्ग्रहित चर्चा में श्री गंगूराम बघेल, सदस्य का माननीय उपाध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर सर्वश्री महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, ननकीराम कंवर तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सदन की जांच समिति की अनुशंसाओं पर शासन की ओर से कार्यान्वयन प्रतिवेदन आने के बाद ही एक साथ प्रतिवेदन पर चर्चा कराई जाए. जब तक शासन की ओर से कार्यान्वयन प्रतिवेदन नहीं दे दिया जाता तब तक इस प्रतिवेदन पर चर्चा को रोका जाए. सदस्यों ने यह भी कहा कि उनकी जानकारी में यह तथ्य आया है कि इस मामले में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो से प्रथमतः जांच करवाई जा रही है. जांच समिति के प्रतिवेदन को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपकर उसकी जांच करवाना सदन की अवमानना है. सदस्यों का कहना था कि मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए.

संसदीय कार्य मंत्री, श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जहां तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात है अगर प्रतिवेदन पर चर्चा शुरु होने के पूर्व ये सारी बातें आ जातीं तो उस समय उसका उत्तर दिया जाना अलग बात होती, जब इस पर चर्चा प्रारम्भ हो चुकी है ऐसी स्थिति में केवल पालन प्रतिवेदन के प्रस्तुत न करने के कारण चर्चा रोकना उचित नहीं है.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों की आपत्ति पर विचार कर उसे औचित्यपूर्ण माना और सामान्य प्रशासन मंत्री श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को निर्देशित किया कि कार्यपालन प्रतिवेदन लिखित में विधान सभा को देने के पश्चात् ही प्रतिवेदन पर चर्चा होगी.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री तथा श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से व्यवस्था पर पुनर्विचार का निवेदन करते हुए कहा कि सामान्य प्रशासन मंत्री जी बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की है, वह सदन को मौखिक में बताने के लिए तैयार हैं.

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सामान्य प्रशासन मंत्री श्री कृष्ण कुमार गुप्ता ने कार्यपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार सदन में मौखिक जानकारी प्रस्तुत की.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि अभी जो सामान्य प्रशासन मंत्री ने सदन में कार्यपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार जानकारी दी है, उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को खानेदार अलमारी से वितरित करा दी जाएंगी और उस पर सदन विचार करेगा तथा मत रखेगा, तब तक के लिए आगे की कार्यवाही भी स्थगित की जाती है.

रात्रि 6.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही, सोमवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 12, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 3 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 12, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.35 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

दिनांक 23 नवम्बर, 2001 की प्रश्नोत्तर सूची का श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य का प्रदेश की 10+2 में उन्नयन वाली शालाओं सम्बन्धी स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 371) को माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 के प्रश्न दिवस के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 06 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. वक्तव्य

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री द्वारा तीन दिसम्बर को बस्तर बंद के दौरान नक्सलवादियों द्वारा घटित घटनाओं के संबंध में वक्तव्य दिया.

श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

3. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में फार्मासिस्ट के लायसेंस जारी करने में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, गंगूराम बघेल, नारायण प्रसाद चंदेल, ननकीराम कंवर, अजय चन्द्राकर, सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ी.

श्री कृष्णकुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई.

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा अनियमितताओं की जांच हेतु सदन की जांच समिति न बनाने के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया.)

4. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, गंगूराम बघेल, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने नागरिक सहकारी बैंक, धमतरी के पदाधिकारियों द्वारा बैंक की राशि का गबन किए जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री विधान मिश्रा, राज्य मंत्री सहकारिता ने इस पर वक्तव्य दिया.

[सभापति महोदय (श्री डोमेन्द्र भेंडिया) पीठासीन हुए.]

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में लोक सेवा आयोग के गठन में अनियमितता होने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार की निष्क्रियता के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

5. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने कृषि उपज मण्डी, कुरुद को स्वीकृत ऋण की राशि प्राप्त नहीं होने,
2. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने जिला सहकारी बैंकों द्वारा फसल बीमा प्रमाण-पत्रों में अनियमितता किये जाने,
3. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड अंतर्गत साल-बीज खरीदी में अनियमितता होने,
4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने मंत्रीमण्डल के एक सदस्य द्वारा बिलासपुर के एक छविगृह के कर्मचारी के साथ मार-पीट किये जाने,

सम्बन्धी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री महेश तिवारी
2. श्री ननकीराम कंवर
3. श्री लीलाराम भोजवानी

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने खण्ड-3 में निम्न संशोधन प्रस्तुत किया :—

खण्ड-3, अनुसूची दो में-

(I) "प्रविष्टि 57 में संख्या '5' के स्थान पर संख्या", अंक '40' प्रतिस्थापित किया जाए, तथा

(II) "प्रविष्टि 57 के बाद जोड़ी जाने वाली प्रविष्टि-"58. चावल 20" के स्थान पर "58. चावल 30" जोड़ी जाए," तथा भाषण दिया.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.
खण्ड 3 विधेयक का अंग बना.
खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

7. प्रतिवेदन पर चर्चा के पुनर्ग्रहण पर औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के पुनर्ग्रहण पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि शासन द्वारा सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन को आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को प्रारभिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु सौंपना सदन का अपमान है. इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई है. इस विषय को पहले विशेषाधिकार समिति को सौंपकर इसकी जांच कराई जाए तथा विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन आने के पश्चात् ही इस पर चर्चा कराना ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा.

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि वे विशेषाधिकार भंग की दी गई सूचना तथा उसमें निहित मुद्दों पर विचार कर रहे हैं. अभी चूंकि कार्यमंत्रणा समिति के द्वारा इस प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए समय निर्धारित है इसलिए वे समझते हैं कि सदन की कार्यवाही रोकी जाना उचित नहीं है.

श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने कहा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ समिति ने कार्यवाही की अनुशंसा की है, सरकार पहले उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करें, उनको निलम्बित करें. उसके बाद जो कार्यवाही करना हो, करें.

श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने कहा कि सदन की जांच समिति की अनुशंसा क्रमांक 12 के अनुसार समिति की अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन संबंधी जानकारी सदन की लोक लेखा समिति को 3 माह के भीतर नहीं भेजना सदन का अपमान है.

श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने कहा कि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को प्रतिवेदन देने के लिए लिखा जाना सदन की अवमानना है, क्योंकि यदि राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सदन की जांच समिति के निर्णय को गलत बताता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने कहा कि सदन की जांच समिति ने 9 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की है. सामान्य प्रशासन मंत्री ने 8 लोगों के बारे में जानकारी दी है. एक अधिकारी जो समिति की अनुशंसाओं के खिलाफ हाईकोर्ट में गया था उसके बारे में मंत्री जी की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दिया.

रात्रि 7.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 13, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 13, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के सूत्रधार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा साहित्यकार श्री हरि ठाकुर के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य सर्वश्री महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल, शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री पर्यटन श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगत के सम्मान में अपराह्न 3.01 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. 3.06 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 13 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 33 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, गंगूराम बघेल, सदस्य ने बिलासपुर जिले के जेल अधिकारी एवं सरगुजा जिले के थाना प्रभारी तथा पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार की निष्क्रियता के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया.)

(2) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने प्रदेश के ग्रामीणों से आवासीय जमीन का भू-भाटक वसूल किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य ने चन्द्रपुर विधान सभा क्षेत्र में आदिवासी छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति के प्रकरण लंबित होने,

2. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने पोबिया जाति को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने,

3. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने बिलासपुर-अकलतरा, जांजगीर-रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत जर्जर होने,

4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने धमतरी जिले की ग्राम पंचायत, मरौद के गरीब मछुआरों के सामने रोजी-रोटी की समस्या होने,

5. श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने प्रदेश के कोटवारों को जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर से भी कम पारिश्रमिक दिये जाने,

सम्बन्धी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001 सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

7. प्रतिवेदन पर चर्चा

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर पुनर्ग्रहीत चर्चा में निम्नलिखत माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री गंगूराम बघेल
2. श्री राजेन्द्र पामभोई
3. श्री अजय चन्द्राकर
4. प्रो. गोपालराम
5. श्री धरम कौशिक
6. श्री लखमा
7. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
8. श्री महेश तिवारी

[सभापति महोदय (श्री डोमेन्द्र भेंडिया) पीठासीन हुए.]

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

9. श्री लीलाराम भोजवानी
10. श्री ननकीराम कंवर
11. डॉ. शक्राजीत नायक
12. श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

7.28 बजे विधान सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 14, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 14, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 1090) जशपुर सूखा राहत कार्य में गड़बड़ी एवं अनियमितता की प्राप्त शिकायत सम्बन्धी श्री नंदकुमार साय, सदस्य के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष ने आगामी प्रश्न दिवस के लिए स्थगित किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 31 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 41 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में नक्सलियों द्वारा आतंकपूर्ण कार्यवाही करने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, गौरीशंकर अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज तथा श्री छतराम देवांगन की स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष ने पढ़ी.

श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

(नेता प्रतिपक्ष, श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.)

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी.

3. ध्यान आकर्षण

(1) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने कोरबा जिले के गेबरा कोयला परिक्षेत्र में कोयले की चोरी होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) श्री चैनसिंह सामले, डॉ. छबिलाल रात्रे, डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्य ने मालखरौद विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[सभापति महोदय (धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के सोनसरी ग्राम में पेयजल हेतु पाइप-लाइन का विस्तार करने,

(2) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को मानदेय सही समय पर उपलब्ध नहीं होने,

(3) श्री मेघाराम साहू, सदस्य जिला कोरबा के करतला विकासखण्ड के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करने,

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव तहसील के कृषकों को फसल बीमा से वंचित रहने,

(5) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले के कटंगी जलाशय में किसानों को अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान लम्बित होने, सम्बन्धी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़-सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

6. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अध्याय 10 के नियम 61 (2) में इस बात का उल्लेख है-"विधेयक के जिन खण्डों या उपबन्धों में लोक निधि में से व्यय अंतर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे."

परन्तु जब किसी विधेयक में कोई खण्ड जिसमें व्यय अंतर्ग्रस्त हो, मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में न छाया गया हो तब अध्यक्ष विधेयक के भारसाधक सदस्य को ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा."

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001 की धारा 20 (1) में इस बात का उल्लेख है कि-"परिषद् के सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किये जाएं" इसी तरह इस विधेयक के अध्याय सात की धारा 35 से 38 में परिषद् की निधि, निधि उपयोजित, लेखा तथा संपरीक्षा व बजट का उल्लेख है और अभी तक यह परम्परा रही है कि जिन विधेयकों में व्यय अंतर्ग्रस्त हों उनमें व्यय-पत्रक लगना चाहिए लेकिन इस विधेयक में व्यय-पत्रक का उल्लेख नहीं है इसलिए इस विधेयक पर विचार नहीं हो सकता है.

उन्होंने आगे कहा कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 में इस बात का उल्लेख है कि "विधेयक के पुर:स्थान किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र विधेयक राजपत्र में प्रकाशित करा दिया जायेगा यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो" विधेयक कल पुर:स्थापित हो चुका है और आज विचार करते समय तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है, न ही राजपत्र की प्रतियां सदस्यों को प्राप्त हुई है इसलिए भी इस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सा से जुड़े सभी कार्य भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत आते हैं जब तक इस पाठ्यक्रम की अनुमति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से नहीं ली जाती है तब तक इस विधेयक को सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता है.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसमें कोई भी व्यय शासन को नहीं करना है. परिषद् की आमदनी से ही कोष और निधि बनेगी जिससे व्यय होगा. उन्होंने आगे कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अनुमति एम. बी. बी. एस. कोर्स में जरूरी है, पैरा मेडिकल कोर्स के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

माननीय सभापति ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस विधेयक की धारा 4 (1) में परिषद् के गठन हेतु पदेन सदस्य के रूप में अधिकांश शासकीय सेवकों को नाम-निर्दिष्ट किए जाने का प्रावधान है. इसी तरह धारा-35 में परिषद् की निधि स्थापित करने का उल्लेख है और धारा-36 में लिखा है कि सारा व्यय निधि से ही होगा. इसलिए इसमें कोई व्यय नहीं होगा. निधि बनने से राजकोष पर कोई भार नहीं आ रहा है और निधि में राशि अनुदान से आएगी, इसलिए वे आपत्ति को अमान्य करते हैं.

माननीय सभापति ने आगे व्यवस्था देते हुए कहा कि नियमानुसार संशोधन की सूचना जिस दिन विधेयक पर विचार

या जाना हो उसके एक दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, चूंकि आज ही संशोधन की सूचना प्राप्त हुई है इसलिए भी वे इसे मान्य योग्य नहीं मानते.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न पुनः उठाते हुए कहा कि नियम 65 में इस बात का उल्लेख है कि-"विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाये तब या उसके बाद किसी अवसर पर भारसाधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) कि उस पर विचार किया जाये,
(ख) कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये, या
(ग) उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय."

उन्होंने कहा कि प्रवर समिति को सौंपे जाने या इसको परिचालित करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसलिए इस विधेयक को विचार करने के पूर्व प्रवर समिति को सौंपा जाए.

श्री महेश तिवारी, सदस्य, श्री गंगूराम सदस्य तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने भी जनता की राय जानने के लिए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को दिनांक 29-11-2001 को वितरित की जा चुकी हैं. माननीय सदस्य समय पूर्व संशोधन प्रस्तुत कर सकते थे. माननीय सदस्यों ने संशोधन में प्रवर समिति के सदस्यों का नाम भी नहीं सुझाया है. उन्होंने आगे कहा कि माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति को सौंपे जाने की बात सही समय पर कही है लेकिन नियम 78 के तहत संशोधन की सूचना एक दिन पूर्व आनी चाहिये थी इसलिये प्राप्त संशोधन नियमानुकूल नहीं होने के कारण वे इसे अमान्य करते हैं.

व्यवधान होने से माननीय उपाध्यक्ष द्वारा रात्रि 7.13 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गयी. रात्रि 7.24 सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री गंगूराम बघेल एवं श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्यों ने आसंदी से आग्रह किया कि नियमों को शिथिल कर इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए.

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि यह विषय अब समाप्त हो चुका है. इस पर आसंदी की व्यवस्था आ चुकी है. अब विधेयक के विचार पर अपना भाषण प्रारम्भ करें.

रात्रि 7.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 15, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 15, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष ने सरगुजा जिले के विकासखण्ड लखनपुर के ग्राम लखनपुर पोसगा बन्धा ग्राम के 67 मजदूरों से भरे एक ट्रक के रिहन्द नदी पर बने पुल से गिर जाने से मजदूरों की मृत्यु तथा घायल होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया.

श्री नंदकुमार पटेल, गृहमंत्री ने माननीय अध्यक्ष की अनुमति से घटना की एवं शासन द्वारा की गई कार्यवाही की संक्षिप्त जानकारी दी.

2. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में मलेरिया, उल्टी-दस्त से मौतें होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार की लापरवाही के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.)

(2) प्रो. गोपाल राम, सदस्य ने जिला सरगुजा के आदिवासी विकास विभाग द्वारा आश्रमों एवं छात्रावासों के लिए सामग्री खरीदी में भ्रष्टाचार किए जाने की ओर आदिमजाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री माधव सिंह ध्रुव, आदिमजाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री मदन गोपाल सिंह, सदस्य ने सरगुजा जिले के विकासखण्ड लखनपुर के 65 मजदूरों से भरे एक ट्रक के रिहन्द नदी के पुल से गिर जाने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा अंतर्गत सड़क डामरीकरण कराये जाने,

(3) प्रो. गोपालराम, सदस्य ने जिला सरगुजा के मैनपाट स्थित बाल्को कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण के लिए राशि न दिये जाने,

(4) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने मेडिकल कालेज हास्पिटल, रायपुर में सिटी स्केन उपकरण खरीदी हेतु निविदा न खोले जाने,

सम्बन्धी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2001 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :—

	अशासकीय संकल्प		समय
1.	(क्रमांक-1)	डॉ. हरिदास भारद्वाज	30 मिनट
2.	(क्रमांक-7)	श्री नारायण प्रसाद चंदेल	30 मिनट
3.	(क्रमांक-17)	श्री अजय चन्द्राकर	45 मिनट
4.	(क्रमांक-18)	श्री गंगूराम बघेल	45 मिनट

श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001 के विचार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

2. श्रीमती फुलोदेवी नेताम
3. डॉ. हरिदास भारद्वाज
4. श्री धर्मजीत सिंह
5. डॉ. सोहनलाल

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

6. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
7. श्री शिवरतन शर्मा
8. डॉ. रामलाल भारद्वाज
9. श्री लीलाराम भोजवानी
10. श्री अग्नि चन्द्राकर

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय सभापति ने माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण होने तथा विधेयक पर विचार पूर्ण होने तक सदन की अनुमति से सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 51-ब अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ सह-चिकित्सकीय परिषद् विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव की स्वीकृति पर मत विभाजन हुआ.

प्रस्ताव के पक्ष में 34 मत तथा प्रस्ताव के विपक्ष में 18 मत प्राप्त हुए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

रात्रि 7.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 16, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 16, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 17 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

2. व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के वृंदावन फार्म हाऊस के मालिक द्वारा की जा रही अवैध शराब बिक्री सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 1316) को माननीय अध्यक्ष ने आगामी प्रश्न दिवस के लिए स्थगित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था दी :—

कई बार विधान सभा में ऐसे प्रश्न आते हैं जो दो विभागों से जुड़े रहते हैं या जिस विभाग से प्रश्न किया जा रहा है उसके साथ-साथ दूसरे विभाग की भी जानकारी आटोमेटीकली उसमें जुड़ी रहती है. ऐसी स्थिति में जिस विभाग से प्रश्न किया गया है वह विभाग विधान सभा सचिवालय से या विधान सभा अध्यक्ष से इसका निराकरण करा लें कि इसका उत्तर कौन देगा अन्यथा जिस विभाग से प्रश्न किया गया है दूसरे विभाग से पूरी जानकारी ले करके संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार जिस विभाग से प्रश्न किया गया है वह जानकारी एकत्रित करके उसका उत्तर दें.

प्रश्नोत्तर सूची में 15 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने माननीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री के विरुद्ध उनके द्वारा दिये गये निन्दा प्रस्ताव को स्वीकार करने की मांग की.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निन्दा प्रस्ताव उनके विचाराधीन एवं परीक्षणाधीन है. वे नियमानुसार उस पर कार्यवाही करेंगे तथा सदन को अवगत करायेंगे.

3. ध्यान आकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 19 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा.

लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री महेश तिवारी, गंगूराम बघेल, नन्दकुमार साय, सदस्य ने शासन एवं प्रशासन द्वारा शासकीय कार्यक्रमों में माननीय विधायकों के संबंध में प्रोटोकाल का पालन न किए जाने की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, सामान्य प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. व्यवस्था

उपरोक्त ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी-"विधान सभा के सभी सदस्य उनके परिवार के सदस्य हैं. उनकी प्रतिष्ठा और उनकी मर्यादा के विरुद्ध यदि कुछ घटेगा तो उन्हें पीड़ा होगी. वे इसकी स्थायी व्यवस्था कर रहे हैं. अब सदस्य सुविधा समिति, सदस्य सुविधा सम्मान समिति कहलायेगी. यह समिति अन्य मामलों के अलावा सदस्यों के असम्मान के मामले भी देखेगी और अनुशंसा सहित अपना प्रतिवेदन देगी."

5. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने देवभोग हीरा खदान के सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण में बी. विजय कुमार एक्सप्लोरेशन कम्पनी द्वारा शर्तों का उल्लंघन किए जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री रामपुकार सिंह, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(3) सर्वश्री गंगूराम बघेल, महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने सिंचाई कर में वृद्धि किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री धनेश पटिला, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :—

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री रामविचार नेताम, सदस्य की प्रदेश में बीज निगम की स्थापना न किये जाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

(2) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य की तिल्दा तथा धरसींवा क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने सम्बन्धी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

(3) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, महेश तिवारी, अजय चन्द्राकर, सदस्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता होने सम्बन्धी सूचना तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का वक्तव्य.

(4) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश में दवा खरीदी में भ्रष्टाचार होने सम्बन्धी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

(5) श्री गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य की कसडोल विधान सभा क्षेत्र में शराब बिक्री होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य.

(6) सर्वश्री महेश तिवारी, बृजमोहन अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य की छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरान्त महापुरुषों के नाम पर शुरु किये गये पुरस्कारों के चयन में अनियमितता होने सम्बन्धी सूचना तथा सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री शिवरतन शर्मा, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, डॉ. शक्राजीत नायक सदस्य की रायगढ़ जिला के अंतर्गत मेसर्स जिंदल स्ट्रीप्स द्वारा ग्राम पतरापाली में आदिवासी की भूमि पर कब्जा किये जाने सम्बन्धी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(8) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य की छत्तीसगढ़ संवाद में आरक्षित पदों की भर्ती में भ्रष्टाचार होने संबंधी सूचना तथा जनसंपर्क मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव शहर की स्वीकृत पेयजल आवर्धन योजना का कार्य पूर्ण न किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(10) श्री महेश तिवारी, डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. हरिदास भारद्वाज सदस्य की दुर्ग शहर की छात्रा की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार न लिये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(11) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, सदस्य की कोरबा स्थित ताप संयंत्रों से प्रदूषण फैलने संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

(12) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, सदस्य की मुख्य अभियंता कार्यालय रायपुर में दिन-दहाड़े लूट की घटना होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य की यूरिया कोटिंग एजेंट के रूप में अनुपयोगी उत्पादों का सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों में वितरण किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

(14) सर्वश्री गंगूराम बघेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य की प्रदेश की शासकीय शालाओं में शिक्षकों की कमी होने संबंधी सूचना तथा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(15) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, गणेशराम भगत, शिवरतन शर्मा, सदस्य की जशपुर जिला के लोदाम बेरियर से सीमेंट व्यापारियों द्वारा बिक्री कर की चोरी किये जाने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य.

6. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 16 (सोलह) सूचनायें नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 को सदन में लिये जाने की वे अनुज्ञा प्रदान करते हैं.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :—

(1) डॉ. शक्राजीत नायक, — सदस्य की उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के एक अधिकारी को नियम विरुद्ध सेवावृद्धि किये जाने सम्बन्धी सूचना.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, — सदस्य की शिक्षा विभाग में कार्यरत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी को विगत सात माह से वेतन अप्राप्त संबंधी सूचना.

(3) श्री संजीव शाह, — सदस्य की वि. ख. मानपुर ग्राम कहगांव के कोटवार को शासकीय आबादी भूमि का आवंटन किये जाने संबंधी सूचना.

(4) श्री छतराम देवांगन, — सदस्य की अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु पाइप लाइन के विस्तार संबंधी सूचना.

(5) श्री प्रेमसिंह सिदार, — सदस्य की विद्युत करेंट से ग्राम करवाही एवं छिरवनी, थाना तमनार, जिला रायगढ़ के 23 मवेशियों के मरने के बावजूद मुआवजा राशि न मिलने संबंधी सूचना.

(6) श्री मदन सिंह डहरिया, — सदस्य की विधान सभा क्षेत्र मस्तूरी में ग्राम बेदपरसदा से मुड़पार पहुंच मार्ग डब्ल्यू. सी. एम. कार्य हेतु मजदूरों को भुगतान न होने संबंधी सूचना.

(7) श्री जगजीत सिंह मक्कड़, — सदस्य की विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत राजपुर के आश्रितों को वृद्धा पेंशन नहीं दिये जाने संबंधी सूचना.

(8) श्री अजय चन्द्राकर, — सदस्य की जल संसाधन दुर्ग विभाग में द्वारा सामग्री क्रय करने में भ्रष्टाचार करने संबंधी सूचना.

(9) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य की कोरबा जिले के अंतर्गत वन मंडल, कोरबा के अधिकारियों की लापरवाही से तेंदूपत्ता हितग्राहियों का भुगतान न होने संबंधी.

(10) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य की राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव तहसील में संचालित सेवा सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी पर परिवहन व प्रासंगिक व्यय लिये जाने संबंधी सूचना.

(11) श्री धरम कौशिक, सदस्य की प्रदेश के एकमात्र मेडिकल कॉलेज मेकाहारा, रायपुर में विभिन्न संयंत्र खराब होने संबंधी सूचना.

(12) श्री मेघाराम साहू, सदस्य की सक्ती विधान सभा क्षेत्र जिला जांजगीर-चांपा में पानी की समस्या होने के कारण पानी संग्रहण हेतु टंकी का निर्माण करने सम्बन्धी सूचना.

(13) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव वि. ख. के ग्राम पंचायत सोनेसरार के पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में हेरा-फेरी करने संबंधी सूचना.

(14) श्री रामविचार सिंह नेताम, सदस्य की ग्राम पंचायत जनकपुर वि. ख. वाड्रफनगर जिला सरगुजा में राजीव गांधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत मजदूरों का भुगतान न करने सम्बन्धी सूचना.

(15) श्री चैनसिंह सामले, सदस्य की मालखरौदा विधान सभा क्षेत्र में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के निर्माण कार्य सम्बन्धी सूचना.

(16) डॉ. रामलाल भारद्वाज, सदस्य की जल संसाधन विभाग में आरक्षण नियमों के पालन सम्बन्धी सूचना.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने-

(क) जांजगीर जिले के चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा प्रदान किये जाने एवं
(ख) जांजगीर जिला मुख्यालय में कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,

(2) श्री छतरामं देवांगन, सदस्य ने जांजगीर जिले के-

(क) विकासखण्ड अकलतरा को तहसील का दर्जा प्रदान किये जाने,
(ख) बलौदा कन्या हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने एवं
(ग) जांजगीर-पत्तोरा सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(3) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के-

(क) ग्राम छछान पहारी में संचालित हाईस्कूल को मान्यता प्रदान किये जाने एवं
(ख) ग्राम बेलरगोंदी में पशु चिकित्सालय स्थापित किये जाने,

(4) श्री गणेशराम भगत, सदस्य ने रायपुर जिले के ग्राम बरोदा में

(क) सड़क निर्माण एवं
(ख) स्ट्रीट लाईट लगाये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकाएं प्रस्तुत की.

8. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के 8 सदस्यों का निर्वाचन

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए अपने में से 8 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि निर्वाचन का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :—

1. नाम-निर्देशन पत्र विधान सभा सचिवालय में दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को सायं 6.00 बजे तक दिए जा सकते हैं.
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को रात्रि 7.30 बजे से की जायेगी.
3. उम्मीदवारों से नाम वापिस लेने की सूचना दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 को सायं 5.00 बजे तक सचिवालय में दी जा सकती है.
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 को अपराह्न 2.00 बजे से 4.00 बजे तक होगा.
5. निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जावेगा.

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र की प्रतियां विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रेगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 (क्रमांक 26 सन् 2001) पुर:स्थापित किया.

10. प्रतिवेदन पर चर्चा

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु सभा द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के पुनर्ग्रहण कर सर्वश्री धर्मजीत सिंह एवं महेश तिवारी, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि प्रतिवेदन पर माननीय मंत्री का उत्तर पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे.

11. औचित्य प्रश्न तथा व्यवस्था

श्री महेश तिवारी, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 166 (3) में इस बात का उल्लेख है कि-"विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों की अधीन होगा :—

(3) विषय में सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित हो."

उन्होंने कहा कि जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया है उसमें सभा का हस्तक्षेप अपेक्षित है. यदि

इस विषय पर चर्चा पूरी हो जाएगी और सभा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो यह सदन के द्वारा उनके विशेषाधिकार का हनन होगा.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि माननीय सदस्य श्री महेश तिवारी की दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर परीक्षण चल रहा है. परीक्षणोपरांत उस पर आसंदी की जो व्यवस्था होगी वह माननीय सदस्य को यथा समय सूचित कर दी जाएगी.

12. प्रतिवेदन पर चर्चा (क्रमशः)

श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री एवं श्री माधवसिंह ध्रुव आदिमजाति मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

13. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-"यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि प्रदेश के सभी जन स्वास्थ्य रक्षकों की न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर उनके क्षेत्र के लोगों के लिए प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाई की व्यवस्था करे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्री छतराम देवांगन, डॉ. छबिलाल रात्रे, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने चर्चा में भाग लिया.

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प अस्वीकृत हुआ.

(2) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-"सदन का यह मत है कि प्रदेश के गौ (गाय) हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए" तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री धर्मजीत सिंह
2. श्री महेश तिवारी

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

3. श्री डोमेन्द्र भेडिया
4. श्री ननकीराम कंवर
5. श्री रविन्द्र चौबे
6. श्री नंदकुमार साय

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

डॉ. प्रेमसाय सिंह, कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प अस्वीकृत हुआ.

माननीय उपाध्यक्ष ने कार्यसूची में दर्ज अशासकीय संकल्पों पर चर्चा पूर्ण होने तथा माननीय मंत्री का उत्तर आने तक सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

(3) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि सदन की यह राय है कि "राजस्व पुस्तक परिपत्र के अध्याय 6 के खण्ड चार में प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली जन-धन की क्षति के लिए विद्यमान सहायता के प्रावधानों में रेत भूमि पर बोयी गयी फसल की अतिवृष्टि और बाढ़ से होने वाली क्षति से पीड़ित कृषकों के लिए सहायता का प्रावधान किया जाए." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प वापस हुआ.

(4) श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-"सदन का यह मत है कि प्रदेश के व्यापक हित में अकाल संहिता को संशोधित कर उसे अद्यतन किया जाये." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री चैनसिंह सामले, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचारोपरांत संकल्प वापस हुआ.

रात्रि 8.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 19, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 19, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.32 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. विशेष उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 10 दिसम्बर को अमर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाये जाने का उल्लेख करते हुए उद्‌गार व्यक्त किये.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा ने भी उद्‌गार व्यक्त किये.

माननीय अध्यक्ष द्वारा अमर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस (गौरव दिवस) के अवसर पर उनके सम्मान में सदन की कार्यवाही 2.50 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.

2.57 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 23 नवम्बर, 2001 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 371) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने शासन की शिक्षा नीति के विरोध तथा माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 15 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 33 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा के जुलाई-अगस्त, 2001 सत्र में दिनांक 1 अगस्त, 2001 को पारित छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 23 सन् 2001) को राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 अगस्त, 2001 को प्राप्त हो गई है.

4. औचित्य प्रश्न

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने निन्दा प्रस्ताव के संबंध में चर्चा करना चाही.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आपके प्रस्ताव को गुण-दोष के आधार पर नियमों पर विचार करने के उपरांत उन्होंने अग्राह्य कर दिया है.

माननीय अध्यक्ष ने नियम 132 का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके उसके लिए वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् :—

1. उसमें सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायेगा,

2. उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंगात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे,

3. उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत को छोड़कर उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा,

4. वह हाल ही में घटित विषय तक निर्बन्धित रहेगा,

5. उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा,

6. उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं चलाई जायेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो,

7. उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो,

8. वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा, जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उपरोक्त नियमों पर विचारोपरांत उन्होंने माननीय सदस्य के निन्दा प्रस्ताव को अग्राह्य किया है.

श्री बृजमोहन अग्रवाल तथा श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने माननीय अध्यक्ष से प्रस्ताव को ग्राह्य करने तथा अग्राह्यता के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया.

संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे तथा गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने कहा कि निन्दा प्रस्ताव में समग्र रूप से एक ही बिन्दु होना चाहिए और श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा निन्दा प्रस्ताव में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, वे नियमानुसार नहीं है और नियम 130 एवं 132 इस प्रस्ताव को अग्राह्य करने के लिए पर्याप्त हैं. इसलिए इस विषय पर पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्यों के तर्कों को सुनने के पश्चात् वे अपनी विस्तृत व्यवस्था बाद में देंगे.

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव जिले में स्थित शासकीय मुद्रणालय में मुद्रण सामग्री एवं स्टाफ की कमी होने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

(2) श्री संजीव शाह, सदस्य ने सामान्य वन मण्डल परिक्षेत्र मोहला के अंतर्गत कलचुवा बीट में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री संजीव शाह, सदस्य ने विकासखण्ड मानपुर, ग्राम पंचायत ख्वास कड़की के सरपंच व सचिवों द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने,

(2) श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले में वोल्टेज समस्या के समाधान हेतु फीडर बदलने,

(3) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य ने राजनांदगांव जिले की डोंगरगांव तहसील के किसानों को फसल बीमा का लाभ न मिलने,

(4) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने पटवारी चयन परीक्षा से चयनित 157 लोगों को प्रशिक्षण उपरांत भी नियुक्ति प्राप्त न होने,

सम्बन्धी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सामने अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :—

(1) शासकीय विधि विषयक/अन्य कार्य

		निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना तथा विनियमन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 31, सन् 2001).	1 घंटा 30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 32 सन् 2001).	1 घंटा
3.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक विनिधान उन्नयन विधेयक, 2001.	1 घंटा
4.	छत्तीसगढ़ महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001.	1 घंटा
5.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2001.	15 मिनट
6.	प्रदेश में शालाओं के उन्नयन एवं नवीन शालाओं के खोलने में हुई अनियमितता के संबंध में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य की नियम-139 के अधीन प्राप्त सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट
7.	राज्य शासन द्वारा गठित आयोगों से राज्य को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त न होने तथा शासन के लाखों रुपयों का अनावश्यक व्यय होने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. शक्राजीत नायक, शिवरतन शर्मा, गंगूराम बघेल, अजय चन्द्राकर, ननकीराम कंवर, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, धरम कौशिक, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	1 घंटा 30 मिनट

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि "शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई गई हैं, सदन उन्हें स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. वर्ष 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

माननीय सभापति ने इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 को सायंकाल 6.00 बजे तक का समय निर्धारित किया.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का

प्रतिषेध विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

श्री ननकीराम कंवर, श्री मन्तुराम पवार, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री अग्नि चन्द्राकर, श्री शिवरतन शर्मा, श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना (रैगिंग) का प्रतिषेध विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

10. नियम-139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था बंद होने से मिट्टी तेल, शक्कर एवं अन्य खाद्यान्न का वितरण न होने के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त होने के सम्बन्ध में श्री महेश तिवारी, सदस्य ने चर्चा उठायी.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री रामदेव राम
2. श्री ननकीराम कंवर

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

3. श्रीमती इन्ग्रिड क्रिस्टिन मैक़लॉऊड
4. डॉ. शक्राजीत नायक
5. श्री धर्मजीत सिंह
6. श्री लीलाराम भोजवानी
7. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
8. डॉ. रामलाल भारद्वाज

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

9. श्री धरम कौशिक
10. श्री गौरीशंकर अग्रवाल

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से माननीय मंत्री का उत्तर समाप्त होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

श्री चनेशराम राठिया, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.)

रात्रि 7.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 20, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 20, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 07 तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 19 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 48 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर सदस्य श्री महेश तिवारी, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने बाल्को के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा करना चाही.

व्यवधान होने से 3.34 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. 3.40 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

सदस्य श्री गंगूराम बघेल, श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पुनः मामला उठाये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि वे सूचना पर विचार करेंगे.

2. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री महेश तिवारी, लीलाराम भोजवानी, गौरीशंकर अग्रवाल, सदस्य ने बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर मंदिर की जमीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने की ओर राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का ध्यान आकर्षित किया.

श्री धनेन्द्र साहू, राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने नगरी तथा भाटापारा के महाविद्यालय के छात्र संघ के बर्खास्त पदाधिकारियों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

3. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री चरणसिंह मांझी, सदस्य ने रायपुर जिले के गरियाबंद विकासखण्ड में काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत चलाये जा रहे राहत कार्यों में मजदूरी का भुगतान न करने,

(2) श्री गुलाब सिंह, सदस्य ने जिला सरगुजा और कोरिया की सीमा में बने गंगोटी बांध पर मछलीपालन का पट्टा दिये जाने,

(3) प्रो. गोपालराम, सदस्य ने जिला सरगुजा निवासी अगरिया जाति के लोगों को लोहार जाति बताकर शासन के लाभों से वंचित किये जाने,

(4) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के विकासखण्ड चौकी के आश्रित ग्राम तेलीटोला की

हितग्राही को इंदिरा आवास की राशि न दिये जाने,

(5) श्री चैनसिंह सामले, सदस्य ने मालखरोदा विधान सभा क्षेत्र में बिजली के अभाव में किसानों की फसल सूखने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(क) श्री मेघाराम साहू, सदस्य ने जांजगीर जिले के :—

(1) ग्राम सिरनी एवं भंद्रागोढ़ी के बीच बहने वाले उष्ण नाले पर रपटा पुल बनाये जाने,
(2) ग्राम मशनियां कलां स्थित शासकीय हाईस्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(3) ग्राम नवसरा में नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने,
(4) ग्राम नन्दौर खुर्द में एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने एवं सड़क के बीच पड़ने वाले बिजली के खंभे को हटाये जाने, एवं
(5) कोरबा जिले के ग्राम उमरेली में नल-जल योजना प्रारंभ कराये जाने.

(ख) श्री संजीव शाह, सदस्य ने राजनांदगांव जिले के :—

(1) ग्राम मुरेटीटोला में स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(2) ग्राम लेडीजोब के दोनों नालों पर पुलिया बनाये जाने,
(3) ग्राम जोगटोला में माध्यमिक शाला खोले जाने,
(4) ग्राम हथरा में टूटे व अधूरे बांधों का पुनर्निर्माण तथा मुख्य सड़क पर बने पुल की ऊँचाई बढ़ाये जाने,
(5) सिंचाई जलाशय एडमागोढ़ी के नाले का पुनर्निर्माण कराये जाने,
(6) ग्राम कुम्हली में हाईस्कूल खोले जाने,
(7) ग्राम औंधी स्थित पूर्व माध्यमिक शाला हेतु छात्रावास निर्माण कराये जाने, एवं
(8) ग्राम काड़े एवं मोहला के बीच बहने वाले नाले पर स्टापडेम कम रपटा बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत कीं.

5. वक्तव्य

श्री धनेश पटिला, ऊर्जा मंत्री ने दिनांक 01 दिसम्बर, 2000 से 14 अप्रैल, 2001 की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा अर्जित राजस्व के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के पत्र पर वक्तव्य दिया.

[सभापति महोदय (श्री महेश तिवारी) पीठासीन हुए.]

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने इस पर संक्षिप्त उत्तर दिया.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 31, सन् 2001) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 32, सन् 2001) पुर:स्थापित किया.

7. वर्ष 2001-2002 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि-परंपरानुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है. अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें.

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-

"दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 55, 56, 60, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक सौ उनसठ करोड़, पचासी लाख, सतहत्तर हजार, तीन सौ उन्नीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल
2. श्री धर्मजीत सिंह
3. श्री गंगूराम बघेल

[सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.]

4. डॉ. रामलाल भारद्वाज
5. श्री महेश तिवारी
6. डॉ. छबिलाल रात्रे
7. श्री शिवरतन शर्मा
8. श्री अग्नि चन्द्राकर
9. श्री ननकीराम कंवर
10. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर
11. श्री छतराम देवांगन

माननीय सभापति ने अनुपूरक अनुमान पर मतदान तथा विनियोग विधेयक पर विचार पूर्ण होने तक सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

12. डॉ. शक्राजीत नायक
13. श्री लीलाराम भोजवानी
14. श्री नारायण प्रसाद चन्देल

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2001 का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रामचन्द्र सिंहदेव, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

रात्रि 8.09 बजे विधान सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 21, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 21, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या-1 (क्रमांक 1090) सहित 25 तारांकित प्रश्नों में से 08 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 36 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 57 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने सरगुजा जिले के कुसमी में नक्सलियों द्वारा ग्राम में सभा करके हजारों की भीड़ में 3 लोगों को गोली से उड़ा देने संबंधी घटना की ओर सदन का ध्यान दिलाया.

गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने इस संबंध में सदन को वस्तुस्थिति की संक्षिप्त जानकारी दी.

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री गंगूराम बघेल ने प्रदेश के किसानों को धान का उचित मूल्य न मिलने तथा किसानों को रायपुर शहर में प्रवेश न करने देने को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित किया.

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाने तथा व्यवधान होने से 3.44 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई. 3.53 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए.]

पुनः व्यवधान होने से 4.04 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित हुई.

4.23 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कार्यवाही प्रारम्भ होते ही पुनः मामला उठाया तथा नारे लगाये.

माननीय उपाध्यक्ष ने यह कहते हुए कि वे माननीय खाद्य मंत्री को निर्देशित करते हैं कि वे सायं 5.00 बजे तक इस सम्बन्ध में विस्तृत बयान तैयार करके आयें तथा 4.29 बजे सदन की कार्यवाही 5.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

5.05 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

कार्यवाही प्रारम्भ होते ही सदस्य श्री महेश तिवारी व श्री गंगूराम बघेल द्वारा पुनः किसानों को रायपुर शहर में प्रवेश करने से पुलिस द्वारा रोके जाने का मामला उठाये जाने पर गृह मंत्री श्री नंदकुमार पटेल ने इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहा किन्तु भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाने तथा लगातार व्यवधान होने से माननीय उपाध्यक्ष ने 5.15 बजे सदन की कार्यवाही 6.00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.

सायं 6.02 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने सरकार पर किसानों की समस्याओं पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की धान खरीदी को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए.

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधान सभा आते समय पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर विधान सभा आने से रोका गया.

लगातार व्यवधान रहने से सायं 6.07 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 22, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 22, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.31 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. संकल्प

माननीय अध्यक्ष ने निम्न संकल्प प्रस्तुत किया-"संसद भवन परिसर में आतंकवादियों द्वारा की गई गोली-बारी की घटना से यह सदन स्तब्ध है. आतंकवादियों की इस कायराना हरकत की यह सदन कड़े शब्दों में निंदा करता है.

सदन का यह मत है कि ऐसी कायराना हरकतें कराकर, दहशत फैलाकर कोई देश, संगठन या व्यक्ति भारत की अखण्डता और स्वाभिमान को कभी भी खण्डित नहीं कर पाएगा.

सदन के भीतर गोली-बारी गंभीर घटना है इससे निपटने के लिए कड़े-से-कड़े कदम उठाए जाना चाहिए. अभी तक जो समाचार आएं हैं उसको सुनकर इस बात का संतोष होता है कि आतंकवादियों की गोली-बारी से सुरक्षाकर्मी पूरी सक्षमता से निपटे हैं और बड़ी जन-हानि नहीं हो पाई है लेकिन फिर भी जो सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं उनके प्रति यह सदन संवेदना व्यक्त करता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है.

इस परीक्षा की घड़ी में सदन अपने आपको सुरक्षा बलों के साथ नैतिक रूप से जोड़ता है और उनकी कुशलता की कामना करता है.

माननीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी तथा नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय ने संकल्प पर उद्‌गार प्रकट किये.

सदन द्वारा मृतकों के सम्मान में दो मिनट का मौन धारण किया गया तथा सदन की कार्यवाही 2.46 बजे पांच मिनट के लिए स्थगित की गई.

2.53 बजे सभा की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 05 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 35 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 44 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, विधि विधायी तथा संसदीय कार्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 के संबंध में लोक सभा तथा राज्य सभा की कार्यवाहियां तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्य सभा सचिवालय का सूचना-पत्र पटल पर रखा.

4. ध्यान आकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-"आज की कार्यसूची में 15 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम दो ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में

पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा.

लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

(1) सर्वश्री नन्दकुमार साय, शिवरतन शर्मा, सदस्य ने सूखा राहत कार्यों में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री भूपेश बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री गणेशराम भगत, बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, सदस्य ने जशपुर वन मंडल के जंगलों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये :—

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, गंगूराम बघेल, सदस्य की राज्य सरकार की उद्योग विरोधी नीति संबंधी सूचना तथा उद्योग मंत्री का वक्तव्य,

(2) श्री चोवादास खांडेकर, सदस्य की जिला बिलासपुर थाना लोरमी अंतर्गत नाबालिग लड़की के अपहरणकर्त्ता गिरफ्तार न किए जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य,

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, गंगूराम बघेल, सदस्य की प्रदेश में फर्जी ड्राफ्टों के माध्यम से शासन को हानि पहुंचाने संबंधी सूचना तथा पंचायत मंत्री का वक्तव्य,

(4) सर्वश्री गंगूराम बघेल, रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की जिला जशपुर विकासखण्ड बगीचा पण्ड्रापाठ आदर्श महाविद्यालय में अनुदान राशि का दुरुपयोग किए जाने संबंधी सूचना तथा आदिमजाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य,

(5) श्री अमर अग्रवाल, श्री गौरीशंकर अग्रवाल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, प्रदेश सरकार द्वारा रबी मौसम में धान की फसल बोने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री अमर अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया निर्धारित न किए जाने संबंधी सूचना तथा सामान्य प्रशासन मंत्री का वक्तव्य.

(7) श्री मेघाराम साहू, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा के बिगड़े वनों के सुधार हेतु उपलब्ध राशि का दुरुपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य,

(8) सर्वश्री गणेशराम भगत, छतराम देवांगन, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, जनपद बागीचा एवं सक्ती में राजीव ज्ञानोदय केन्द्र के लिए पुस्तक खरीदी में भ्रष्टाचार होने संबंधी सूचना तथा पंचायत मंत्री का वक्तव्य,

(9) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, जिला रायगढ़ विकासखण्ड तमनार के ग्रामों में जंगली हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने सम्बन्धी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य,

(10) श्री नंदकुमार साय, सदस्य, जिला बिलासपुर विकासखण्ड गौरेला की ग्राम पंचायत तेंदूमुड़ा में सूखा राहत कार्यों में भ्रष्टाचार होने सम्बन्धी सूचना तथा पंचायत मंत्री का वक्तव्य,

(11) श्री नंदकुमार साय, सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी फरसाबहार तपकरा द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त राशि एवं खाद्यान्न तेल के वितरण में अनियमितता किए जाने सम्बन्धी सूचना तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री का वक्तव्य,

(12) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर शहर के सिविल लाइन थाने क्षेत्रान्तर्गत न्यू पुरैना कॉलोनी में चोरी और लूट संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्रीमती श्यामा ध्रुवा, सदस्य, जिला कांकेर के थाना दुर्गूकांदल अंतर्गत ग्राम लोहत्तर में बलात्कार के आरोपी गिरफ्तारी न किए जाने सम्बन्धी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

5. नियम 267-क के अधीन सूचनाएं

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वे नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 17 (सत्रह) सूचनायें नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2001 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :—

1. श्री जगजीत सिंह मक्कड़
2. श्री छतराम देवांगन
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री लीलाराम भोजवानी
5. श्री चरण सिंह मांझी
6. श्री संजीव शाह
7. श्री गणेश राम भगत
8. श्रीमती रानी रत्नमाला देवी
9. प्रो. गोपाल राम
10. श्री नारायण प्रसाद चंदेल
11. श्री सोहन लाल
12. श्री गंगूराम बघेल
13. श्रीमती श्यामा ध्रुवा
14. श्री मेघाराम साहू
15. श्री शिवरतन शर्मा
16. श्री विक्रम भगत
17. श्री प्रेमसिंह सिदार

6. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के 08 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम वापसी के पश्चात् 8 उम्मीदवार शेष रहे.

चूंकि उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 ही सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं.

अतः वे निम्नलिखित सदस्यों को उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित करते हैं :—

1. श्री धर्मजीत सिंह
2. श्री चैन सिंह सामले
3. श्री गुलाब

4. श्री रामदेव
5. डॉ. छबिलाल रात्रे
6. श्री छतराम देवांगन
7. डॉ. शक्राजीत नायक
8. श्री धरम कौशिक

7. नियम 228 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-श्री नन्दकुमार साय, सदस्य द्वारा रायपुर के जिलाध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध समिति को जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

8. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम के अंतर्गत समिति को संदर्भित अर्जी पर नियम 228 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 228 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा श्री डेरहू प्रसाद धृतलहरे के विरुद्ध दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से ग्रसित होने संबंधी, जांच एवं अनुशंसा हेतु निर्दिष्ट अर्जी पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

9. संकल्प

श्री रविन्द्र चौबे, विधि मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि-"यह कि यह सदन भारत के संविधान में उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परंतुक (क) एवं (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित है." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प स्वीकृत हुआ.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-उन्होंने निम्न विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए नियमावली के नियम 65 (1) तथा स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर, इन्हें आज ही पुर:स्थापित कर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है :—

1. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2001 (क्रमांक 34 सन् 2001)
2. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 35 सन् 2001)
3. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 36 सन् 2001)
4. छत्तीसगढ़ महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय 2001

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

माननीय उपाध्यक्ष ने श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री से छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2001 पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा.

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विधेयक, 2001 के पुर:स्थापन किए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि इस विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को आज ही मिली है और माननीय सदस्य विधेयक को ठीक से पढ़ भी नहीं पाए हैं इसलिए इस विधेयक पर चर्चा कल लिया जाना उचित होगा.

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, श्री गंगूराम बघेल, श्री महेश तिवारी ने आगे कहा कि दो दिन पूर्व विधेयक पर संशोधन का माननीय सदस्यों को अधिकार है और आज ही पुर:स्थापित कर विधेयक पर चर्चा कराना सदस्यों के अधिकारों का हनन है. विधेयक के मामले में नियमों को कदापि शिथिल नहीं करना चाहिए.

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि आसंदी की इस सम्बन्ध में व्यवस्था आ चुकी है. यदि आधे घण्टे पूर्व माननीय सदस्यों के संशोधन आते हैं तो संशोधनों और विधेयक दोनों पर एक साथ चर्चा करायी जाएगी.

माननीय उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि विधेयक का क्रम आने पर वे माननीय सदस्यों की बात को पुन: सुनेंगे. जो विचारणीय बात होगी उस पर विचार करेंगे.

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-"छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 31 सन् 2001) पर विचार किया जाए." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक, डॉ. रामलाल भारद्वाज, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, ने चर्चा में भाग लिया.

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.
खण्ड 2 से 39 विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि-छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

विधेयक की स्वीकृति पर मत विभाजन हुआ.

विधेयक को पारित किए जाने के पक्ष में 35 मत तथा विपक्ष में 19 मत प्राप्त हुए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक-32 सन् 2001) पर विचार किया जाए तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

सदस्य श्री धरम कौशिक, डॉ. रामलाल भारद्वाज, श्री लीलाराम भोजवानी ने चर्चा में भाग लिया.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बनें.

श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 (क्रमांक-33 सन् 2001) पुरःस्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि-"छत्तीसगढ़ महर्षि प्रबंधन तथा तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2001 पर विचार किया जाए."

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम-64 में इस बात का उल्लेख है कि-"विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र विधेयक राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा. यदि वह पहले ही प्रकाशित न किया जा चुका हो."

चूंकि यह विधेयक आज ही पुरःस्थापित हुआ है तथा राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है इसलिए इस पर विचार नहीं हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में नियम को शिथिल करने का आसंदी को दिये गये अधिकार का भी नियम में कहीं उल्लेख नहीं है.

माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस विधेयक पर बाद में विचार किया जायेगा.

सायं 6.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2001 (अग्रहायण 23, 1923) के अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2001

(अग्रहायण 23, 1923)

विधान सभा अपराह्न 2.30 बजे समवेत हुई.

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में दिनांक 29 नवम्बर, 2001 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 859) एवं दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 की प्रश्नोत्तर सूची का स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1316) सहित शामिल 17 तारांकित प्रश्नों में से 07 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में 12 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रविन्द्र चौबे, विधि, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री ने सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 36, सन् 2001) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.

खण्ड 2 से 6 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री रविन्द्र चौबे, विधि, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

3. वर्ष 2000-2001 के "उत्कृष्ट विधायक" की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-सभा में उत्कृष्ट संसदीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा माननीय सदस्यों के सभा के अन्दर संपादित संसदीय कार्यों के आधार पर उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय दिनांक 19 अप्रैल, 2001 की सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक में लिया था.

उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया, जिसके दो अन्य सदस्य माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा है. समिति ने दिनांक 7 दिसम्बर, 2001 को हुई बैठक में उत्कृष्ट विधायक चयन के निम्नांकित मापदण्ड तय किये.

1. किसी सदस्य ने कितने मामले किस-किस नियम के तहत उठाये हैं.
2. सभा में उठाये गये मामले प्रदेश स्तर के थे अथवा क्षेत्र विशेष से संबंधित थे.
3. मामले उठाते समय सभा में उनके भाषण की गुणवत्ता उनका प्रस्तुतीकरण.
4. प्रश्न करने एवं पूरक प्रश्न पूछने की गुणवत्ता.
5. सदस्य के द्वारा समय सीमा में अपनी बात करने की क्षमता.

6. सभा में सदस्य का व्यवहार एवं उपस्थिति.
7. आसंदी के निर्देशों के प्रति माननीय सदस्य का व्यवहार.

उपरोक्त के साथ ही सदस्यों द्वारा किये गये ऐसे कृत्य, जिनकी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती है, यथा :—

1. गर्भगृह में आने के मामले.
2. सभा में नारेबाजी.
3. आसंदी के निर्देशों की अवहेलना.
4. भाषण में असंसदीय शब्दावली का प्रयोग एवं बैठे-बैठे सभा में बोलना.

उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से प्रतिपक्ष के विधायक श्री महेश तिवारी और सत्तापक्ष की ओर से उत्कृष्ट विधायक के लिए श्री धर्मजीत सिंह का चयन किया है.

माननीय अध्यक्ष ने उन्हें अपनी ओर से और सभा की ओर से बधाई दी.

सदस्य सर्वश्री महेश तिवारी, धर्मजीत सिंह ने सदन को धन्यवाद देते हुए उद्‌गार प्रकट किये.

नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय, सदस्य श्री बनवारीलाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त माननीय सदस्यों को बधाई देते हुए उद्‌गार प्रकट किये.

4. राज्य शासन द्वारा घोषित नीतियों का पटल पर रखा जाना

श्री रविन्द्र चौबे, विधि, विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा घोषित वन नीति, जल संसाधन नीति, ऊर्जा नीति, खनिज नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, संस्कृति नीति, पर्यटन नीति, खेल नीति, पर्यावरण नीति, परिवहन नीति, उद्योग नीति, सड़क नीति, महिला सशक्तिकरण नीति, बंदी कल्याण पुनर्वास नीति, आवास नीति एवं श्रम नीति सदन के पटल पर रखी.

5. अध्यक्षीय उद्‌बोधन

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन के अवसर पर निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट किये :—

आज सत्र का अंतिम दिन है और यह एक सुखद संयोग है कि इसी दिन विधान सभा की वर्षगांठ भी है.

हममें से कोई नहीं भूला है कि विधान सभा का पहला सत्र राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में हुआ था और टेंट लगाकर व्यवस्थाएं पूर्ण की गईं थीं. उस सत्र से इस चौथे सत्र के समापन की यात्रा पूर्ण हो चुकी है. 90 दिनों के चार सत्रों में 60 बैठकें करके हमने कई संसदीय इतिहास और परम्पराएं स्थापित की हैं. इस नए भवन में हम फरवरी-अप्रैल में हुए बजट सत्र में आए. तब से हुए तीन सत्रों की संसदीय यात्रा का गवाह यह भवन है. लगभग 10 माह के इस काल में इस भवन को मा. सदस्यों के उपयोग योग्य बनाने का पूरा प्रयास किया गया है, और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा.

विधान सभा की वर्षगांठ का समय सही मायने में प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा करने और आत्मचिंतन करने का है ताकि कमियों को दूर कर हम इस संसदीय व्यवस्था को मजबूत से मजबूत बनाकर जन आस्था का एक केन्द्र बन सकें.

बीते साल की कार्यवाहियों की यदि हम समीक्षा करें तो हमें संतोष होना चाहिए कि विधान सभा जन समस्याओं, उनकी पीड़ाओं को सुनने और समस्याओं के समाधान का केन्द्र बनने की दिशा में आगे बढ़ी है. इस दौरान मा. सदस्यों ने जहां जनहित से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाया वहीं समस्याओं के निदान के प्रति शासन की संवेदनशीलता भी सराहनीय रही. समय की सीमा की वजह से यदि और सत्रों की आज हम समीक्षा न भी कर पाएं तो इसी सत्र में चर्चा के दौरान शासन पक्ष ने 24 मामलों में जांच की घोषणाएं की जिनमें शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, अन्त्योदय अन्न योजना, पट्टा वितरण में अनियमितता, वनों की अवैध कटाई, पहुंच मार्गों की गुणवत्ता, राहत कार्यों में गड़बड़ी, इंदिरा गांव गंगा योजना, आरक्षण नियमों के उल्लंघन के मामले प्रमुख थे. 5 मामलों में गंभीर अनियमितताओं के लिए मंत्रीगणों ने सदन में ही अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित करने की घोषणाएं कीं. प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि यह सब सदन में जनहित के मामलों पर सकारात्मक और गंभीर चर्चा का ही परिणाम है.

इस सत्र में विद्युत मांग-पूर्ति, जमीनों के मुआवजे, आरक्षण नियमों के उल्लंघन, रोजगार, कर चोरी, फसल बीमा, धान क्रय, नक्सली समस्या के मामले प्रमुखता से आए. ऊर्जा विभाग ने 2003 तक का एक्शन प्लान घोषित किया. एक महत्वपूर्ण निर्णय भी आदिवासी भाईयों के हित में हुआ. भूमिहीन आदिवासी वनकर्मियों से सदा पीड़ित रहते हैं जब कभी उन्हें वन भूमि के नाम पर वहां से हटने या हटाने की कार्यवाही होती है. प्रश्न पर चर्चा में वन मंत्री ने भूमिहीनों को आवंटित भूमि का जहां दुबारा सर्वे करने की घोषणा की वहीं राजस्व मंत्री व वन मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब जमीनों का संयुक्त सर्वे कराया जाएगा जिससे अनियमितता की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएं. वन विभाग ने सीमांकन की राशि भी तय कर ली है.

यह 25 दिवसीय सत्र 18 बैठकों का था. इस दौरान प्रश्नों की 1656 सूचनाएं मिलीं, स्थगन की 167, ध्यानाकर्षण की 714, अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों पर चर्चा की 12, नियम 52 के तहत आधे घण्टे की चर्चा की 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं और उन पर नियमानुसार चर्चाएं कराईं गईं. नियम 139 के तहत दो चर्चाएं हो पाईं जिसमें पहली सरप्लस विद्युत का उपयोग और दूसरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाबत थी. इस सत्र में लगभग 80 घंटे कार्य करके जनहित के लगभग सभी महत्वपूर्ण मामलों पर किसी न किसी माध्यम से चर्चा की गई.

शासकीय कार्य भी बहुत गंभीरता से हुआ. इस वर्ष 56 बैठकें हमने कीं जो देश की किसी छोटी विधान सभा, जिसमें सदस्यों की संख्या 100 से कम है, ने नहीं की. यदि मध्यप्रदेश से ही हम तुलना करें तो वहां शीतकालीन सत्र में 10 बैठकें हुई वहीं हमने 18 बैठकें कीं अर्थात् लगभग दुगुनी. यह कार्य संस्कृति जो हमारे यहां आई है उसे हमें बनाए रखना है तभी नवगठित प्रदेश आगे बढ़ेगा. आज जहां लोक सभा की बैठकें तक कोरम के अभाव में स्थगित होती है **वहीं हमारे यहां एक भी दिन कार्यवाही कोरम के अभाव में स्थगित नहीं हुई.** यह निश्चित ही उल्लेखनीय बात है और अन्य प्रदेशों के लिए एक उदाहरण.

गुजरा वर्ष निश्चित ही उपलब्धियों का वर्ष रहा है. इस दौरान विधायकों को संसदीय नियम प्रक्रियाओं से भिज्ञ कराने हेतु जहां प्रबोधन कार्यक्रम व संसदीय मामलों पर व्याख्यान मालाएं आयोजित की गईं वहीं सदस्यों की मदद के लिए विधान सभा सचिवालय ने भी समय-समय पर 8 प्रकाशन जारी कर उन्हें मुहैया कराए. संविधान की पुस्तक पहले दी जा चुकी है. **"संसदीय प्रक्रिया एवं व्यवहार" (हिन्दी संस्करण) की पुस्तक आज भी सभी मा. सदस्यों को निःशुल्क वितरित की जा रही है.** मैं आपको बताऊं कि इस पुस्तक का विमोचन 25 नवम्बर को दिल्ली में संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ. मैं, मा. मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, उपाध्यक्ष सभी दिल्ली में ही थे. हमने उसी दिन प्रकाशक से जितनी प्रतियां उसके पास उपलब्ध थीं, खरीदी लीं और विमान से ही हम 45 प्रतियां साथ में ले आए, शेष प्रतियां भी हमको बाद में मिल गई, जिन्हें आप सभी को देते मुझे हर्ष हो रहा है. साथियों, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां यह हिन्दी संस्करण इतनी जल्दी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है. यह सब आपकी उपलब्धियों में और बढ़ोत्तरी करने के मान से किया जा रहा है.

मेरा यह प्रयास है कि विधान सभा के कार्य को अधिक से अधिक कम्प्यूटरीकृत करके और अधिक सक्षम बनाया जाएगा ताकि विधायकों को सचिवालय की और अधिक मदद मिले और सचिवालय सही मायने में अपना कार्य दक्षता से कर सके. मैं इस मामले में शासन से भी पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखता हूं.

मैं बताना चाहूंगा कि संसदीय मामलों में **"उत्कृष्ट विधायक"** पुरस्कार परम्परा अभी कई प्रदेशों में प्रारंभ नहीं हुई है. मध्यप्रदेश में यह परम्परा प्रदेश के गठन के 39 वर्ष बाद अर्थात् 15 दिसम्बर, 1995 को प्रारंभ हुई. जबकि इस पुरस्कार को हमने पहले ही वर्ष प्रारंभ कर दिया है.

संसदीय शोध पत्रिका "विधायन" का हम पहला प्रवेशांक आज विमोचित कर रहे हैं. मध्यप्रदेश में इसका प्रारंभ वर्ष 1983 में हुआ था अर्थात् गठन के 27 वर्ष बाद. इसी प्रकार सदस्यों को संदर्भ इत्यादि उपलब्ध कराने के लिए "संदर्भ अनुसंधान सेवा" हमने प्रारंभ कर दी है जबकि म. प्र. में यह सेवा 25 वर्ष बाद वर्ष 1981 में शुरु हुई थी.

सदस्यगण योग्य हों और संसदीय विषयों में देश में अग्रणी बनें और यह विधान सभा और उनके सदस्य उत्तरोत्तर तरक्की कर प्रदेश को आगे बढ़ाएं, यह मेरी मंशा है.

यह पूरे राष्ट्र के लिए एक मिसाल है कि हमारे सदस्यों ने स्व-अनुशासन कायम करने की स्वयं पहल की और गर्भगृह में न आने का संकल्प व्यक्त किया और स्वयमेव निलंबन का प्रावधान सर्वसम्मति से नियमों में जोड़ा गया. हमारे इस निर्णय के बाद संसद में इस नियम को लागू किया गया है, देश की किसी अन्य विधान सभा में ऐसा कोई नियम नहीं है. "आचरण" समिति बनाकर विधान सभा के भीतर एवं विधान सभा के बाहर मा. विधायकों के आचरण को अनुशासित करने का कार्य करने वाली देश की यह तीसरी विधान सभा है. इसके पहले यह प्रयास आंध्रप्रदेश व हिमाचल प्रदेश में हुआ है.

विधान सभा सदस्यों के सम्मान की रक्षा करने के मान से भी यह विधान सभा अग्रणी है. हमने "सदस्य सुविधा एवं

सम्मान" समिति गठित करने का निर्णय लिया है ताकि नौकरशाही जनप्रतिनिधियों के असम्मान की बात कभी न सोच सके.

नवीन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद जितने भी अखिल भारतीय सेमीनार या कार्यक्रम हुए उसमें छत्तीसगढ़ विधान सभा ने प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है और इस कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं उसे अन्य प्रदेशों के विधान सभा अध्यक्षों और लोक सभा अध्यक्ष ने भी सराहा है.

लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार जगत के बन्धुओं को भी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास सचिवालय द्वारा किया गया है. प्रारंभिक कठिनाइयों के बाद धीरे-धीरे अब वे अपने कार्य को अधिक सुविधाजनक ढंग से कर पा रहे हैं. इस अवधि के दौरान उनके संसदीय ज्ञान को बढ़ाने की दृष्टि से दो कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं. मैंने यह पाया है कि एक वर्ष के अनुभव के बाद उन्होंने संसदीय रिपोर्टिंग में अधिक परिपक्वता लाई है. अगले वर्ष से "उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग" के लिए भी एक पुरस्कार दिया जाएगा और यह प्रयास भी होगा कि पत्रकार बन्धुओं को विधान सभा के भीतर और अधिक सुविधाजनक परिस्थितियां मुहैया कराई जाएं.

मुझे यह देखकर बहुत संतोष हुआ है कि इस सत्र में विधायी और वित्तीय कार्य में बहुत गंभीरता से चर्चाएं हुईं, इसके लिए मा. सदस्य बधाई के पात्र हैं. इससे भी ज्यादा संतोष मुझे यह देखकर हुआ कि पत्रकार दीर्घा इन गंभीर चर्चाओं के समय खाली नहीं थी और जो कवरेज विधायी कार्य, वित्तीय कार्य और नियम-139 की चर्चाओं का हुआ है वह भी उत्साहवर्धक है, मैं इसके लिए पत्रकार बंधुओं को भी बधाई दूंगा. मैं यहां कहना चाहूंगा कि जब तक गंभीर जनहित के मामलों पर चर्चा के मामले जनता तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस व्यवस्था के प्रति जनता में जो थोड़ी निराशा की भावना आ रही है वह ठीक नहीं होगी. सभा में गंभीर व जनहित के मामले न केवल चर्चा में आते हैं वरन निदान भी होता है, यह सकारात्मक संदेश जनता के बीच देने का महत्वपूर्ण दायित्व हमारे मीडिया से जुड़े भाईयों पर है और इसे वह जिस तरह से निभा रहे हैं उसमें वे और सुधार करेंगे. ऐसा मेरा विश्वास है. निश्चित रूप से जब "उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग" का पुरस्कार दिया जाएगा तो यह मानदण्ड सर्वाधिक महत्वूपर्ण रहेगा. मैं यह भी कहूंगा कि ऐसी सकारात्मक रिपोर्टिंग में विधान सभा सचिवालय की ओर से भी सम्पूर्ण सहयोग आपको मिलता रहेगा.

यह सही है कि नवनिर्मित प्रदेश के जनप्रतिनिधियों से प्रदेश की जनता को बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं और संसाधनों की भी सीमाएं हैं उसमें रहकर ही धीरे-धीरे समस्याओं का निराकरण होगा. मेरा मानना है कि एक सकारात्मक पहल प्रारंभ हुई है और प्रदेश का भविष्य उज्जवल है.

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं निम्न संकल्प आप सभी के विचारार्थ रखता हूं और उसे पारित करने का अनुरोध भी करता हूं.

परम्परा अनुसार मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि विधान सभा का अगला सत्र बजट सत्र होगा और वह 18 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 मार्च तक चलेगा.

उपरोक्त उद्‌बोधन के बाद माननीय अध्यक्ष ने निम्न संकल्प सदन के समक्ष विचार हेतु रखा :—

6. विधान सभा की प्रथम वर्षगांठ पर सभा द्वारा संकल्प का पारण

"गत एक वर्ष में राज्य विधान सभा ने उत्कृष्ट संसदीय परम्पराएं स्थापित की हैं और कई मायनों में देश में नए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं. राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मेलनों में राज्य विधान सभा ने अपनी उपस्थिति प्रभावी ढंग से दर्ज कराई है. इस उपलब्धि में सभी सदस्यों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है.

इस दौरान विधान सभा में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और जन-समस्याओं के निराकरण का सभी ने मिलकर प्रयास किया.

प्रतिपक्ष सजग और सक्रिय रहा तथा कार्यवाही संचालन में उनका सहयोग रचनात्मक रहा है.

राज्य शासन ने भी विधायिका के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाने का गंभीरता से प्रयास किया है. प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ "पत्रकार जगत" ने भी सकारात्मक एवं स्वस्थ्य भूमिका निर्वाह किया है. विधान सभा के समवेत अधिकारी व कर्मचारीगण भी कर्त्तव्य निर्वहन में पीछे नहीं रहे.

इस सुखद अनुभूति का स्मरण करते हुए विधान सभा के सदस्यगण यह संकल्प व्यक्त करते हैं कि आने वाले वर्ष में राज्य के सर्वांगीण विकास, प्रदेश की प्रचुर प्राकृतिक संपदा के समुचित दोहन और जन-समस्याओं के निराकरण के लिए एकजुट होकर प्रयास करेंगे और जन-अपेक्षाओं को पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करेंगे.

यह राज्य समृद्धशाली बने, राज्य की जनता स्वस्थ, सुखी हो और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करे. इस दिशा में अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु हम सभी कृतसंकल्पित हैं."

संकल्प पर हुई चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :—

1. श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री
2. श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य
4. श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री

[उपाध्यक्ष महोदय (श्री बनवारीलाल) पीठासीन हुए.]

5. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
6. श्री नंदकुमार पटेल, गृह मंत्री
7. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

7. नियम 167 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 167 के अंतर्गत मेरे समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को उन्होंने अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है :—

(1) प्रश्न का गलत उत्तर देने के आधार पर वित्त मंत्री श्री रामचन्द्र सिंहदेव के विरुद्ध सदस्य, श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं चार अन्य सदस्यों की सूचना.

(2) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक, 2001 में असत्य जानकारी देने बाबत सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह के विरुद्ध श्री गंगूराम बघेल की सूचना.

(3) राज्य-उत्सव कार्यक्रम में विधायिका को महत्व नहीं दिये जाने बाबत मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के विरुद्ध श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं 7 अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना.

(4) आदिमजाति कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति के प्रतिवेदन के संबंध में दायर याचिका पर विधान सभा को नोटिस जारी करने के कारण मुख्य न्यायाधीश एवं रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय के विरुद्ध श्री. बृजमोहन अग्रवाल की विशेषाधिकार भंग की सूचना.

8. नियम 239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचनाएं विचाराधीन हैं :—

(1) आदिमजाति कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति के विरुद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने तथा जांच समिति के प्रतिवेदन के बाद शासन द्वारा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच हेतु भेजने के संबंध में राज्य शासन के विरुद्ध श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री महेश तिवारी एवं अन्य सदस्यों की सूचना.

(2) आदिमजाति कल्याण विभाग में फर्नीचर क्रय में अनियमितता की जांच हेतु गठित सदन की जांच समिति के प्रतिवेदन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के संबंध में श्री एम. के. पाण्डे, अपर संचालक, उद्योग विभाग के विरुद्ध श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, सदस्य की सूचना.

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

निन्दा प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए सदन को सूचित किया कि-

सदन को स्मरण होगा कि दिनांक 10 दिसम्बर, 2001 को सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर एवं श्री नन्दकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष द्वारा मान. मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के विरुद्ध अलग-अलग प्रस्तुत निंदा प्रस्ताव को अग्राह्य किए जाने की मैंने सदन में जानकारी दी थी.

सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल ने निंदा प्रस्ताव की अग्राह्यता पर पुनर्विचार करने का अनुरोध आसंदी से किया था. निंदा प्रस्ताव को ग्राह्य कर सदन में चर्चा कराए जाने के संदर्भ में श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने अपने तर्क भी सदन में दिए थे. सत्तापक्ष की ओर से मंत्रीगण सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल ने तर्क प्रस्तुत कर आसंदी की व्यवस्था को यथावत रखने का अनुरोध किया था.

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के तर्कों के पक्ष में श्री गंगूराम बघेल, सदस्य ने भी अपने विचार सदन में रखे थे. सभी की बातें सुनने के बाद मैंने सदन को आश्वस्त किया था कि सभी मान. सदस्यों की ओर से किए गए कथनों पर पुनर्विचार कर मैं इस मामलें में विस्तृत व्यवस्था बाद में दूंगा.

विचाराधीन मामले पर पुनर्विचार उपरान्त मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है :—

मेरे पास निंदा प्रस्ताव की तीन सूचनाएं अलग-अलग प्राप्त हुई थीं.

पहली सूचना श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य की थी जो 4 दिसम्बर को प्राप्त हुई.

दूसरी सूचना श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य एवं श्री धरम कौशिक, श्री शिवरतन शर्मा, श्री गणेशराम भगत, श्री हेमचंद यादव, श्री गंगूराम बघेल, श्री ननकीराम कंवर, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री जगजीत सिंह मक्कड़, सदस्यों की थी. यह सूचना भी 4 दिसम्बर को ही आई थी और अंतिम सूचना नेता प्रतिपक्ष श्री नंदकुमार साय एवं श्री महेश तिवारी, श्री लीलाराम भोजवानी, श्रीमती रत्नमाला देवी, श्री मेघाराम साहू, श्री छतराम देवांगन, श्री चरणसिंह मांझी, श्री नारायण प्रसाद चंदेल, श्री सोहनलाल, श्री रामविचार नेताम, श्री गणेशराम भगत, श्री ननकीराम कंवर, सदस्यों की थी जो 7 दिसम्बर को प्राप्त हुई थी.

मैंने तीनों सूचनाओं का बारीकी से परीक्षण किया.

निंदा प्रस्ताव के संबंध में नियमावली में उपलब्ध प्रावधानों का नियम 130 लागू होता है और इस प्रस्ताव को ग्राह्य करने के संबंध में जो शर्तें नियमावली के नियम 132 में दी गई है वे बहुत स्पष्ट हैं :—

1. उसमें सारतः एक निश्चित मामला उठाया जाना चाहिए.
2. उसमें कोई तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन न हो.
3. व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया हो.
4. वह हाल ही की किसी घटना से संबंधित विषय तक ही सीमित हो.
5. उसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया हो.
6. उसमें किसी विषय पर पुनः चर्चा उठाने की बात नहीं की गई हो.
7. प्रस्ताव में किसी ऐसे विषय पर चर्चा करने का प्रयत्न नहीं किया हो जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की आशा हो.
8. वह ऐसे किसी विषय के संबंध में नहीं होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के अधीन हो.

उपरोक्त शर्तों के संदर्भ में यदि विचाराधीन निंदा प्रस्ताव को देखा जाए तो निम्न स्थितियां सामने आती हैं :—

विचाराधीन निंदा प्रस्ताव में एकाधिक विषय उठाए गए हैं और एक निश्चित मामला न होकर अनेक मामलों का इसमें उल्लेख है. इसमें मुख्यमंत्री के आदिवासी न होने के साथ-ही-साथ बीमारियों से आदिवासियों की मौत, भूख से मृत्यु और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला भी है, राज्योत्सव और जिंदल समूह से विद्युत के अनुबंध का मामला भी प्रस्ताव में शामिल है.

मुख्यमंत्री का आदिवासी न होने की बात कहना वर्तमान में एक अनुमान ही है. क्योंकि मामला न्यायालय में चल रहा है अतः आदिवासियों की बीमारियों से मौत होने, भूख से मौत होने, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार होने का कारण मुख्यमंत्री का आदिवासी न होना बताना नियमावली के नियम 132 (2) की भावनाओं के भी विपरीत है.

जो मामले प्रस्ताव में उठाए गए हैं वे हाल की किसी घटना से संबंधित भी नहीं है, जिंदल समूह के साथ विद्युत समझौता काफी समय पूर्व हुआ है और इस मामले में विगत सत्र में भी प्रश्न एवं अन्य चर्चाएं आई थीं. चिकित्सा के अभाव में आदिवासियों की मौत, भूख से आदिवासियों की मौत और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले विगत सत्र में भी चर्चा में आए हैं. तात्पर्य यह कि जिन विषयों पर मामले प्रस्ताव में उठाए गए हैं या जिनको आधार बनाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वे सभी मामले पूर्व में ही की चर्चा में आ चुके हैं.

आदिवासी विकास परिषद् की आयोजित बैठक का मामला इसी सत्र में दिनांक 21-11-2001 को चर्चा में आ चुका है और इस पर पर 28-11-2001 को एक तारांकित प्रश्न श्री शिवरतन शर्मा का भी है जिसके माध्यम से उत्तर दिया जा चुका है.

वाड्रफनगर में चिकित्सा के अभाव में आदिवासियों की मृत्यु का मामला भी इसी सत्र में 6-12-2001 को ही चर्चा में आया है और इस पर विस्तृत चर्चा हुई है.

भूख से मौतों का मामला इस सत्र में भी चर्चा में आया है और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला भी 4 दिसम्बर, 2001 को ही ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा में लिया जा चुका है.

प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक-3 में राज्योत्सव का विषय उठाया गया है. इस मामले में भी 26-11-2001 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से चर्चा हो चुकी है और राज्योत्सव के व्यापार मेले के आयोजन के संबंध में रोटरी क्लब के साथ किए गए अनुबंध में अनियमितता का मामला भी 28 नवम्बर, 2001 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में लिया जा चुका है. 28-11-2001 को ही तारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्य शासन ने इसी विषय पर सदस्य श्री शिवरतन शर्मा द्वारा चाही गई जानकारी दी है.

प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक-4 जिंदल समूह के साथ बिना मंत्रि-परिषद् की स्वीकृति के विद्युत समझौता के संबंध में है. इस मामले पर इसी सत्र में दिनांक 27-11-2001 को नियम 139 के तहत सदस्यों ने चर्चा की है. यही नहीं विगत सत्र में 23-7-2001 को सर्वश्री अजय चन्द्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यों के अलग-अलग प्रश्नों और 25-7-2001 को श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के प्रश्न पर सदस्यों द्वारा चाहा गया उत्तर भी सदन में दिया जा चुका है और इस विषय पर अन्य माध्यमों से भी पूर्व सत्र में चर्चा हो चुकी है.

सारांश यह है विचाराधीन प्रस्ताव नियम 132 (6) का पालन भी नहीं करता.

मुख्यमंत्री अजीत जोगी के गैर आदिवासी होने का मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने इस संबंध में निर्णय भी दिया है. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग भी एक पक्षकार है. सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर और शिवरतन शर्मा भी, जो इस निंदा प्रस्ताव के प्रस्तावक हैं, ने भी इस न्यायालयीन मामले में पक्षकार होना चाहा है.

इस प्रकार विचाराधीन प्रस्ताव नियम 132 (8) की अपेक्षाओं के भी प्रतिकूल है.

विचाराधीन प्रस्ताव में जो प्रमुख बात उठाई गई है वह मुख्यमंत्री के आदिवासी न होने के बारे में है और आदिवासी विकास परिषद् की बैठक के संदर्भ में है वस्तुतः यही प्रस्ताव का प्रथम और प्रमुख बिन्दु है. जैसा कि मैंने बताया है कि इस विषय पर दिनांक 21 नवम्बर, 2001 को ही स्थगन के माध्यम से चर्चा हो चुकी है और स्थगन प्रस्ताव स्वयं ही शासन के प्रति निंदा का प्रस्ताव होता है.

इस विषय में मैंने मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत हुए निंदा प्रस्तावों का भी अवलोकन किया है. मध्यप्रदेश विधान सभा में पहला मामला दिनांक 9 अप्रैल, 1975 को सदस्य श्री कैलाश जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने "देश में बढ़ती हुई हिंसा की प्रवृत्ति" का निंदा प्रस्ताव दिया था और यह प्रस्ताव एक निश्चित मामले पर होने के कारण ग्राह्य हुआ था और विचारोपरान्त स्वीकृत भी हुआ था.

दिनांक 8 सितम्बर, 1978 को तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्री अर्जुन सिंह ने एक निंदा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्र कुमार सकलेचा के विरुद्ध किया था जो "नर्मदा न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यप्रदेश का पक्ष प्रस्तुत करने में किए गए आचरण से मध्यप्रदेश के हितों की हानि" के संबंध में था. यह प्रस्ताव भी नियमानुकूल था, अतः ग्राह्य हुआ और इस प्रस्ताव पर 8 और 9 सितम्बर, 1978 को चर्चा हुआ थी और प्रस्ताव विचारोपरान्त अस्वीकृत किया गया था.

दिनांक 20 नवम्बर, 1997 को एक निंदा प्रस्ताव श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं अन्य सदस्यों द्वारा लिखीराम कांवरे (तत्कालीन वन राज्यमंत्री) के विरुद्ध "जमीन की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से एवं पद का दुरुपयोग कर कराए जाने" के संबंध में दिया गया था, जिसे माननीय अध्यक्ष ने 20 नवम्बर, 1997 को ही नियमानुकूल न होने से अग्राह्य किया था.

आप पाएंगे कि चर्चा में लिए गए दोनों निंदा प्रस्ताव एक निश्चित विषय पर थे.

मैंने इस मामले में लोक सभा में आए निंदा प्रस्ताव भी देखे. वहां भी इन्हीं नियमों और प्रावधानों के तहत ही प्रस्ताव ग्राह्य कर विचार में लिए गए हैं.

आप स्वयं भी सहमत होंगे कि जो विषय किसी न किसी रूप में सदन की चर्चा में आ चुके हैं उन पर पुनः किसी अन्य माध्यम से चर्चा वैसे भी वर्जित है. मैं ऐसे मामलों पर पुनः चर्चा का औचित्य भी नहीं देखता.

चूंकि सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तीनों प्रस्ताव ग्राह्यता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं इसलिए मैंने इन्हें अग्राह्य किया है.

सदस्य, श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने बाल्को के मामले में भी माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव दिया है.

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि उसको उन्होंने अग्राह्य कर दिया है.

सदन में राष्ट्रगान धुन "जन-गण-मण" बजाई गई.

माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र समापन की घोषणा की गई.

सायं 6.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई.

परिशिष्ट - "क"

प्रथम विधान सभा, चतुर्थ सत्र
दिनांक 20 नवम्बर, 2001 से 14 दिसम्बर, 2001 तक

सत्र संबंधी संक्षिप्त जानकारी

सत्र की अवधि	25 दिन
बैठकों की संख्या	18
बैठकों में लगा कुल समय	80 घण्टे
अनुपूरक बजट	2 घण्टे, 30 मिनिट
प्रश्नों पर चर्चा	15 घण्टे, 41 मिनिट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	1656
तारांकित प्रश्न	1023
अतारांकित प्रश्न	633
ग्राह्य तारांकित	422
सदन में उत्तरित	113
ग्राह्य अतारांकित	533
नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित रूप में परिवर्तन तारांकित प्रश्न.	249
स्थगित प्रश्न	5

अल्प सूचना प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	1
अग्राह्य	1

नियम 52 के अंतर्गत आधे घण्टे की चर्चा

सूचनाएं प्राप्त	12
ग्राह्य	6
अग्राह्य	4
लंबित	2
व्यपगत	6

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	11
पारित	8

अशासकीय संकल्प

सूचनाएं प्राप्त	26
ग्राह्य	14
अग्राह्य	9
लम्बित	3